"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 अप्रैल 2013—वैशाख 6, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2013

क्रमांक एफ 9-5/2012/1-8 (पार्ट).—श्री ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2013

क्रमांक 101/732/2012/1-8/स्था.—श्रीमती दुर्गा देवांगन, अवर सचिव, छ.ग. शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को दिनांक 23-11-2012 से 17-12-2012 तक कुल 25 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 18-12-2012 के शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती देवांगन आगामी आदेश तक संस्कृति एवं पर्यटन विभाग में अवर सचिव के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती देवांगन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती देवांगन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 2-03/2013/1-8.—विभागीय आदेश क्रमांक-एफ 2-43/2003/8/एक, दिनांक 18-12-2003 द्वारा श्री के. सुब्रमणयम, भा.व.से. (सी.जी. 1984) की सेवाएं मंत्रालय में ली गई थी, तत्काल प्रभाव से इनकी सेवाएं उनके पैतृक विभाग (वन विभाग) को लौटाई जाती है.

2. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2, दिनांक 20-06-2011 द्वारा श्री के. सुब्रमणयम को अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल का सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार यथावत् रहेगा.

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 2-05/2013/1-8.—वन विभाग के आदेश दिनांक 11-02-2013 के अनुक्रम में श्री एम. टी. नंदी, (भा.व.से. : 1991), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग की सेवाएं तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक विभाग (वन विभाग) को लौटाई जाती है तथा श्री आशीष कुमार भट्ट, (भा.व.से. : 1988) वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग की सेवाएं वन विभाग से लेते हुए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग में पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2013

क्रमांक 447/पं.ग्रा.वि.वि./22/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 78 दिनांक 08-03-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, उप-सचिव.

CHHATTISGARH RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEME

(A State scheme under sub-Section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh National Rural Employment Guarantee act, 2005.)

Chapter – I- Detail frame work and Aim

1.1	**Heading**
	Chhattisgarh Rural Employment Guarantee Scheme, 2005
1.2	**Expansion**
	The extent of the scheme will be the rural areas of 11 districts of the state, namely- Bastar, Kanker, Dantewada, Dhamtari, Rajnandgaon, Bilaspur, Raigarh, Jashpur, Sarguja, Koriya and Kabirdham (Kawardha). This scheme will be implemented in all the 11 districts. Besides this, the scheme will also be implemented in those districts as may be notified by the Government of India under Section 3(1) of the Act in future.
1.3	**Aim-**
	To ensure livelihood to adult persons of rural families residing in rural areas, who are ready to work as unskilled human labour and to create permanent assets in rural area by making availability of employment of atleast one hundred days to one family in a financial year.
1.4	**Eligibility-**
1.4.1	All the adult members of entire rural families residing in the areas notified by the Central Government are eligible to get the benefits of this scheme. Under the scheme a family is entitled to get the benefit of getting employment atleast 100 days in a financial year. The availability of employment of 100 days can be divided among the adult members residing in a family. Hence all the adult members of the registered family, who submits their application to obtain employment, will be eligible to get employment within 100 days limit. For this;

	(one) A family should be permanent resident of the gram panchayat area. (two) It is necessary that a family must be registered in his local gram panchayat. Details of all adult family members must be included in the registration. (three) Family should obtain employment family card from gram panchayat. (four) An application must be submitted for carrying out unskilled human labour on the basis of Employment family card. (five) Member of the family should have the desire to work as unskilled human labour.
1.4.2	Such women, who are registered in a family and applies for employment, shall be given preference in providing employment to them. It will also be ensured that out of total registered and applications received from the applicants for employment, at least one third of the women would get benefitted.
1.4.3	If a handicapped person residing in rural area applies, then he shall be given work as per his eligibility and capability.
1.5	**General Provisions:**
1.5.1	Definitions mentioned in Section 2 of National Rural Employment Guarantee Act 2005, with reference to different terminologies used in this scheme, shall have the same effect.
1.5.2	The word "family" used in this scheme relates to "Household" as mentioned under Section (2) (f) of Chapter–I, of the Act.
1.6	**Chhattisgarh State Employment Guarantee Council:-**
1.6.1	There shall be a state employment guarantee council at the state level which will be called as **"Chhattisgarh State Employment Guarantee Council".** There shall be a state level General Body of the Chhattisgarh State Employment Guarantee council, which shall

	consist of the following office bearers/members:-		
	(i)	Chief Minister, Government of Chhattisgarh.	Chairman.
	(ii)	Minister for Panchayat & Rural Development	Vice chairman
	(iii)	Minister for finance, forest water Resources, Revenue , Public works, Agriculture, Scheduled Caste & Scheduled Tribe welfare, labour, Law & legal Department of Chhattisgarh Government	Member
	(iv)	Vice Chairman, State Planning Board	Member
	(v)	Chief Secretary, Government of Chhattisgarh	Member
	(vi)	Secretary, Panchayat & Rural Development	Member
	(vii)	Commissioner, Chhattisgarh Employment Guarantee Scheme	Member-Secretary
	(viii)	Atleast 6 names nominated by the State government, from Non-government member, representatives from Panchayati Raj Institutes, representatives from Non- government organisations.	Member
1.6.2	Duties of the General Body of the State Employment Guarantee Council		
	(i)	To advice state Government for successful implementation of the scheme in the state	
	(ii)	To make extensive publicity & dissemination of the scheme;	
	(iii)	To establish necessary co-ordination with the Central Employment Guarantee Council.	

	(iv) To supervise and monitor in relation with the implementation of the scheme; (v) To prepare annual report for placing before the legislative Assembly by state Government (vi) To execute other duties as instructed by the central council or state Government (vii) To construct a proper rightful administrative structure for achieving the aims of council with the help of Central and state government and Autonomous institutes; (viii) To make rules, make amendments in the rules according to necessity, make changes in rules and cancel the rules, for conduct of functions of the council; (ix) To entrust such powers and duties to state level empowered committee as the council may deem fit; (x) To approval Annual Report prepared by the state level empowered committee, after consideration. (xi) To take all such works and activities in hand which are essential for fulfilling the aims of the Council
1.6.3	There shall be a state level empowered committee of council which shall be named as Chhattisgarh state Employment Guarantee Empowered committee. The formation Of Empowered committee shall be as under:-
	(i) Chief Secretary — Chairman (ii) Commissioner, Agriculture product — Member (iii) Secretary, panchayat and Rural development — Member (iv) Commissioner, C.G. Employment Guarantee Scheme — Member-Secretary.

	(v)	Principal Secretary /Secretary, Finance, Forest, Water Resources, Revenue, Public Work, Agriculture, Tribal, Law & Legislature, General Administration Department. C.G. Government	Member
	(vi)	Commissioner, Public Relations	Member
	(vii)	Director, Panchayat and Social Welfare	Member
	(viii)	In-Charge, National Information Center.	Member
1.6.4	The Empowered Committee shall have all financial and administrative powers to take decision in the cases to be submitted for co-ordination and Council of Ministers under the working rules of C.G. Executive Government. All the decisions of the Empowered Committee, taken for successful implementation of Rural Employment Guarantee Scheme, shall be final.		
1.6.5	State Level Employment Guarantee Empowerment Committee shall perform following duties:		
	(i)	Implementation of Rural Employment guarantee scheme in perspective of guiding principals of Government of India and take action under the financial right	
	(ii)	To delegate necessary powers for fulfilling the objectives of the council. at various levels in which ground level is also included.	
	(iii)	Maintenance of funds received from the Central Government under the scheme	
	(iv)	To establish co-ordination among various departments for the works related to Chhattisgarh Rural Employment Guarantee Scheme	
	(v)	To determine procedure for speedy abrogation of complaints and give suggestion for the improvement	
	(vi)	To review the scheme and to take action in accordance with delegated financial powers	

	(vii) Publication and dissemination of the scheme;
	(viii) To make various recommendations to Central Government under the provision of the Act.
CHAPTER -2 **CONDUCT OF PROGRAMME**	
2.1	**Statutory Implementing Agency-**
2.1.1	Panchayat and Rural Development Department shall be nodal department for implementation of the scheme and for implementation of scheme in the Development Commissioner's office an Employment Guarantee Cell shall be constituted separately in the department, for which additional posts shall be created with consultation of Finance department. A Commissioner, Employment Guarantee shall be posted, by the State Government, for implementation of the scheme, who will be responsible for implementation of the scheme at the state level. The Commissioner Employment Guarantee shall organize meetings of the Chhattisgarh State Employment Guarantee Council and Chhattisgarh State Empowerment Committee from time to time and shall submit report about the scheme.
2.1.2	Zila Janpad and Gram Panchayat will be main institutions to prepare and implement scheme in their area.
2.1.3	The District Collector as a District Programme Coordinator and Chief Executive Officer, Zila Panchayat as an Additional District Coordinator, will be nominated.
2.1.4	District Programme Coordinator shall be fully responsible for successful implementation of the scheme in the district.
2.1.5	A separate Employment Guarantee Cell shall be constituted for implementation of the scheme in the district, in which additional posts will be created with the consultation of Finance department.
2.1.6	The Chief Executive Officer, Janpad Panchayat will function as Controlling Officer at Janpad level.

2.1.7	A Programme Officer will be posted under Chief Executive Officer, Janpad Panchayat, who will look after the implementation of work for full time. Until appointment of a separate Programme Officer, Chief Executive Officer, Janpad Panchayat is declared as Programme Officer for implementation of the scheme. Separate instructions will be issued by the Panchayat and Rural Development department in this regard.
2.1.8	Necessary financial and administrative powers will be delegated to District Programme Coordinator and Programme Officer by the Panchayat and Rural Development department for the successful implementation of the scheme.
2.1.9	Employment guarantee cell will be constituted separately at each Janpad Panchayat level selected for this scheme, in which additional posts will be created with the consultation of Finance Department.
2.1.10	50% works of the total amount allotted to District under the scheme shall be carried out by Gram Panchayat hence at each Gram Panchayat level or between two Gram Panchayats, one Assistant Employment worker will be appointed on contract basis by Chief Executive Officer, Janpad Panchayat on the recommendation of Programme Officer and with the approval of District Coordinator, who must be the resident of same village Panchayat area.
2.1.11	As per the directions of the Government of India, establishment expenditure incurred at Janpad and village level shall be met out upto 2% from the contingency fund of the scheme. But if Government of India sanctions contingency fund to 4% in place of 2% then an Assistant Employment workers will be appointed in each Panchayat.
2.2	**Agency for implementation of works –**
	Government Departments of the State Government, Panchayat Raj Institutions, Self Help groups, Non-Government Organizations, Central and State government undertakings of the state may be selected as implementing agencies for the scheme.

2.3	**Process of Implementation- wide publicity of scheme**
	Wide publicity must be made through study material in local language easy to read, multimedia communication, through different local cultural and folk arts and through meetings and seminars at local level.
2.4	**Evaluation of Employment demand-**
2.4.1	By evaluating the demand for employment and deploying the works, beneficiaries will be benefitted.
2.5	**Process of registration-**
2.5.1	The process of registration of the families living in rural area shall be done on the basis of BPL survey of the year 2003, by the registration officer/ Gram Panchayat sarpanch.
2.5.2	The process of registration shall be determined by the Panchayat and Rural Development Department under administrative directives.
2.6	**Family employment card (Job card)**
2.6.1	Family employment card (Job card) will be issued to registered families by Gram Panchayat which will contain complete details of the concern. Family employment card shall be valid for five years from the date of its issue and shall be renewed within a month after the expiry of every 5 years, by the Gram Panchayat.
2.6.2	Procedure for preparing draft of family Employment card and procedure for issuance of card shall be determined by Panchayat and Rural Development Department under Administrative directions.
2.6.3	The BPL survey 2003 will be the base for Registration of Employment card (job card) Gram Panchayat will be competent for its modification. The modified family Employment card will be issued by the signature of Sarpanch/ Registration officer (Development Expansion officer/ Assistant Development Expansion officer. If any changes are proposed by the Village then the amended family employment card shall be provided to head of the family after having made amendment in the family employment card on the recommendation of Gram Panchayat.

2.6.4	Any person objecting for not receiving family employment card or having objection on any family employment card, can submit his objection before sarpanch of the concerned Gram Panchayat, and the Sarpanch shall abrogate the objection within a week and shall intimate the person making objection accordingly.
2.6.5	On being dissatisfied with the decision of Sarpanch, an appeal may be submitted to Tahsildar/ Deputy Tahsildar of the area within 15 days. And the appeal should be abrogated within a week after carrying out proper inquiry by the Tahsildar/Dy. Tahsildar. The decision of Tahsildar shall be final and valid.
2.6.6	Information of proposed amendment and the amendments made by Gram Panchayat shall be provided to Tahsildar/Dy. Tahsildar. If Tahsildar/Dy. Tahsildar feels doubtful about the amended entries then he shall produce before Sub-Divisional Officer (Revenue) for final orders. The decision of Sub Divisional Officer (Revenue) shall be final and valid.
2.7	**Application for Employment**
2.7.1	An adult member of each family registered by Gram Panchayat in whose name employment letter has been issued shall be eligible to apply for unskilled human labour under the scheme.
2.7.2	An adult member of each family, who resides in rural area and willing to carryout unskilled human labour, shall submit an application to Gram Panchayat mentioning his name, age including his address.
2.7.3	On receipt of application form for employment, necessary instructions shall be issued by the Panchayat and Rural Development Department, to take action within stipulated time.
2.8	**Availability of Employment**
2.8.1	The availability of employment shall be made on the principle of "First come first serve".

2.8.2	After scrutiny of applications received by Gram Panchayat and after ensuring that the registration has already been done by the applicant, he shall direct the applicant to present at approved work-site.
2.8.3	On the basis of application received by Gram Panchayat for Employment and also on the basis of information received from other sources from rural area, appraisal of demand for employment shall be carried out by Gram Panchayat
2.8.4	On receipt of application for employment, the applicant shall be directed to present at the pre-issued employment oriented works within gram Panchayat area, otherwise work commencing from self-off-project available at Panchayat level, or shall take action to provide employment at the ongoing works through other implementing agency.
2.8.5	Decision can be taken by the gram panchayat to begin work after receiving applications for employment. The labourer while presenting at work site, can also submit an application to the implementing agency, whose information shall be made available to Gram Panchayat by the implementing agency and shall make entry in the family employment card.
2.8.6	It is bound to start this type of labour oriented work within 15 days of getting demanded for employment by at least 50 families in any Gram Panchayat, in which at least 14 days of work should be made continuously available at single site to applicant families, but the above mentioned condition shall not be applicable to the hilly and forest areas as per section 13(b) of schedule 2 of National Employment guarantee Act. A separate guideline will be issued by Rural Development Department in this context for which of the areas does come under hill area of the state
2.8.7	Efforts will be made to provide employment to the applicant within 5 km radius of residential village as mentioned by him, but if the said employment is not available then Gram Panchayat shall submit the said application before Janpad level programme officer who in turn shall inform the applicant to present at employment worksite available under Janpad area. An additional payment of 10% of the minimum wages shall be paid to the applicant towards conveyance and other expenses.

2.8.8	As per the provision of the Act, on the receipt of application for employment, it is bound to provide employment in any area or in any season, but the applicant will not be eligible to get unemployment allowance under the condition for not providing employment to him within 15 days during 15 June to 15 October because of onset of monsoon and requirement of labour in agricultural works.
2.8.9	The determination of process for making availability of employment by Gram Panchayat and programme officer shall be made under the administration directions by Panchayat and Rural Development department.
2.9	**Maintenance of necessary records**
2.9.1	Registration/family employment card register, employment application register, employment Register, muster roll, assets register, labour payment register, social audit register, inspection register at worksite, complaint book, register of unemployment allowance shall be maintained by Panchayat and Rural Development Department in a prescribed formats.
	CHAPTER -3- IMPLENTATION OF SCHEME
3.1	**Work to be taken under the scheme**
	The following works are to be taken on priority basis under the scheme:-
	(i) Water Augmentation and conservation. (ii) Drought Proofing (including Afforestation and plantation) (iii) Irrigation canal (including Micro and Mini-irrigation works) (iv) Providing irrigation facilities to beneficiaries of Indira Awaas Yojana, or beneficiaries of Land reforms or land possessing to people belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribes. (v) Renovation of Traditional water resource structure. (including digging out soil from ponds) **(vi)** Land Development works.

	(vii) Work related to flood control and water clearance. (viii) Construction of village approach road/ construction of pucca road in village lanes throughout the year.. (ix) Any other works notified by Central Government with consultation of state Government.
3.2	**IMPLEMENTATION**
3.2.1	As per section 13(1) of the Act, Village/Janpad/District Panchayat shall be the principal institutes for implementation and planning of the scheme. Under the scheme at least 50% work, on cost basis shall be carried out by Gram Panchayat. Remaining work will be carried out by other agencies. Other agencies like government departments of state, Self Help Groups, Non-government organizations, Central and State Government's undertakings will be selected as implementation agencies.
3.2.2	At least 50% of the work, on the basis of total cost of work in a district shall be implemented by Gram Panchayat.
3.2.3	If any implementing agency is incapable to start the work and provide employment within 15 days then the programme officer shall have right to give the responsibility to any other agency from the selected panel of agencies prepared in the Annual plan for Janpad Panchayat.
3.2.4	If the work is not executed by village Panchayat within 15 days then it will be the responsibility of Programme officer that he should make work available to applicants through any other implementing agency but the District Coordinator will ensure that the work of at least 50% amount allotted is implemented through Panchayats.
3.2.5	**Effective control on implementing agencies by District Programme Coordinator:-** District Programme Coordinator will be fully responsible for successful implementation of the scheme. All the officers of state government and Zila Panchayat and all officers of other local institutions working within the district shall be responsible towards District Programme Coordinator.

3.2.6	Entire Implementing agencies working at the district level shall implement the schemes under the supervision of District programme Coordinator.
3.2.7	District Programme Coordinator can change any implementing agency if he fails to start the work and appoint another agency. Under special circumstances District Programme Coordinator is competent to take decision to assign work to any implementation agency in the district level annual work-plan.
3.2.8	If any District officer is found careless in execution of directions issued by District Programme Coordinator for the successful implementation of scheme or if the orders are not obeyed then it shall be treated as negligence towards his designated duties.
3.3	**Ban on contractship practice/Machines :-** The contractship practice will be banned in implementation of scheme. Ensuring criteria determined for safety and quality of structure, use of machines working in place of human labour (Labour Displacing Machine) shall be banned.
3.4	**Provision of facilities and compensation at worksite :-**
3.4.1	Primary health facility, Drinking water, shed for shadow, crutch etc. should be made available at worksite.
3.4.2	A maximum sum of Rs. 25000/- shall be sanctioned as compensation by the Implementing Agency to the person who expires or become permanently disable while working under the scheme, and this amount will be given either to his legal heir or to handicapped person.
3.4.3	If a person gets injured or become disabled temporarily while working in the scheme, necessary medical facility shall be provided to the affective worker free of cost by the Implementing Agency.
3.4.4	A detailed guideline, in the context, shall be issued by Panchayat and Rural Development Department
3.5	Payment of Wages:

3.5.1	Every person working under scheme will be entitled to receive wages prescribed by the state government or wages sanctioned by competent authority under Minimum wages for Agriculture Labour Act 1948.
3.5.2	There will be no differentiation in labour payment between men and women.
3.5.3	Labour payment will be made weekly or maximum to fortnightly.
3.5.4	It will be necessary to bring Family employment card during labour payment. Without the family employment card labour payment will not be made.
3.5.5	The details of labour payment made by the Gram Panchayat/ implementing agency must be entered in the family employment card and it will be the responsibility of the payer.
3.6	**Unemployment Allowance**
3.6.1	As much as possible under employment guarantee scheme in the state efforts will be made to provide 100 days of employment to every registered rural family but the unemployment allowance will paid only after deducting the total days of employment made available in different projects of different government departments in a year. Every department who starts its programmes in the Gram Panchayat area shall inform to the respective gram panchayat before commencing work.
3.6.2	It will be compulsory to make entries in the family employment card about labour days made available in the departmental schemes by all the government departments of the state.
3.6.3	The total sum of amount to be paid as unemployment allowance should not be more than 100 days labour wages including total amount of wages paid to any family at minimum wage rate in a financial year.
3.6.4	Unemployment allowance shall be not less than one-fourth of the wage rate for the first thirty days and not less than one-half of the wage rate for the remaining period of the financial year.

3.6.5	Administrative directives regarding eligibility/ non eligibility for unemployment allowance and payment procedure shall be issued by the Panchayat and Rural Development department
CHAPTER -4- **EMPLOYMENT AND EXECUTION OF WORKS**	
4.1	**Construction of Work plan**
	District Programme Co-ordination shall get prepared five year plan for the district, in which the following activities will be included on priority basis :-
	(i) Water Augmentations and conservation. (ii) Drought Proofing (including Afforestation plantation) (iii) Irrigation canal (including Micro and Mini-irrigation works) (iv) Providing irrigation facilities to beneficiaries of Indira Awaas Yojana, or beneficiaries of Land reforms or land possessing to people belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribes (v) Renovation of Traditional water resource structure. (including digging out soil from ponds) (vi) Works related to land development. (vii) Work related to flood control and water clearance. (viii) Construction of village approach road/construction of pucca road in village lanes throughout the year. Any other work notified by central Government with the consultation of state Government.
4.2	<u>**Procedure for making five year plan :-**</u> A long term plan for every district shall be made for the next 5 years. Keeping in view at the demand for employment, selection of works should be made with the help of Gram sabha, Gram Panchayat, and representatives from Zila Panchayat level, Hon. Member of Parliament, Member of Legislative Assembly, and experts. Area wise selection of works should be made in such a way that the demand of employment could be fulfilled immediately from the proposed works on receipt of demand for employment in every area of the district.

4.3	**Assessment of labour (Labour Budget) :-** A Labour budget shall be prepared every year by the District Programme Coordinator under the provision of Section 14 (6) of the Act and a work plan shall be submitted to the Zila Panchayat for providing employment to labour.
4.4	**Annual Action plan-** An annual Action plan shall be prepared on the basis of five year plan and labour budget submitted by District programme Coordinator. Assessment of programme structure and works priority shall be done on basis of employment demand.
4.5	Major part of the state falls under forest area where the provisions of Forest Conservation Act are applicable. When there is a demand for employment in the forest area, the employment shall be made available after implementing works with the consultation of forest Department only.
4.6	By the end of December of each year Annual action plan of the district for the next financial year shall be prepared. The state has to be intimated after having completed the action plan by 10th January. Selection of works in the work plan will be done with consultation of gram sabha, Gram Panchayat, Janpad Panchayat, District Panchayat and local MLAs/MPs.
4.7	The Administrative and financial rules issued from time to time by the Rural Development Department shall be applicable for implementation of works. Technical sanction will be given on the basis of Schedule of Rate sanctioned by Rural Development Department from time to time.
4.8	The ratio of wages and materials shall be 60:40 in total cost of the works, implemented under the scheme during the financial year in the district.

CHAPTER – 5 FINANCIAL MANAGEMENT	
5.1	National Rural Employment Guarantee Council has been established separately by the Government of India for successful implementation of National Rural Employment through which funds will be provided to all states by Government of India under National Rural Employment scheme. The states will receive the fund under the rules of government of India from time to time. Maintenance of Employment Guarantee funds, Accounting and Audit system of National Rural Employment Guarantee scheme at State, District, Janpad and Village Panchayat will be as under.
5.2	**STATE LEVEL :-** There will be Chhattisgarh State Employment Guarantee council at state level. A Chhattisgarh Employment Guarantee fund of Chhattisgarh State Employment Guarantee council shall be constituted at the state level. In this fund amounts will be received from following sources- a. Amount to be released from government of India or through National Employment guarantee council. b. Amount to be released as states share and as establishment grant through budget. c. Other income. A bank account will be opened in a prescribed Public Sector bank/Nationalized bank in the name of Chhattisgarh Employment Guarantee Fund by the Council and shall deposit the amounts to be received from Central and State governments in the account. The account will operated jointly by the Commissioner and Accounts Officer of the employment guarantee cell by joint signature. Fund will be released for the head quarter expenses and district implementing agency according to their sanctioned scheme and demand. A separate cash book, voucher, debit ledger, credit ledger, cheque register, bank reconciliation register, Income-Expenditure statement, balance sheet and all registers related to this account shall be maintained. The Auditing of these records will be carried out by the Accountant General,

	Government of India and Local Fund Audit. Balance Sheet and statutory audit will be done by Chartered Accountant. A separate account in the name of Unemployment Allowance fund will be operated in a Public Sector Bank/Nationalized Bank at the state level, In which amounts received from state government will be deposited and will be disbursed to districts from time to time as necessary.
5.3	**ZILA PANCHAYAT LEVEL-** Collector will be the Programme Coordinator at the district level. Chief Executive Officer, Zila Panchayat will be Additional District Programme Coordinator, for implementation of the scheme, by whose designation an account will be opened in a Public sector bank/Nationalized bank. This account will be operated by the Additional District Programme Coordinator and Accounts Officer with joint signature. Amounts released by Chhattisgarh State Employment Guarantee Council/ Government of India/ others, will be deposited in this account. Fund will be disbursed to the implementing agencies according to their sanctioned scheme and demand. A separate account in the name of Unemployment Allowance fund will be operated in a Public Sector Bank/Nationalized Bank at the district level and In which amounts received from state government will be deposited and disbursed to Janpad Panchayats from time to time as necessary.
5.4	**JANPAD PANCHAYAT LEVEL-** Chief Executive Officer will be the controlling officer at Janpad Panchayat Level. A separate bank account will be opened and maintained in the name of Janpad Employment Guarantee Fund by Rural Employment Guarantee Scheme. The amount received from District Programme Coordinator/Council/ Government of India/ Others, for implementation of the scheme, shall be the deposited in this account. The account will be operated with the joint signature of Chief Executive Officer and Programme Officer. Funds will be disbursed to the implementing agencies according to their sanctioned scheme and demand on the recommendation of Programme officer.

	A separate account in the name of Unemployment Allowance fund will be operated in a Nationalized Bank at the Block level and In which amounts received as unemployment allowance from district will be deposited and disbursed to beneficiaries from time to time as necessary. A separate cash book, voucher, debit ledger, credit ledger, cheque register, bank reconciliation register, Income-Expenditure statement, balance sheet and all related account books shall be maintained at the Janpad level. The Auditing of these records will be carried out by the Accountant General, Government of India, Auditor of Panchayat department and Local Fund Audit. Balance Sheet and statutory audit will be done by Chartered Accountant appointed by the Programme Officer.
5.5	**GRAM PANCHAYAT LEVEL-** A separate account in the name of Employment Guarantee Fund for Rural Emp0loyment Guarantee scheme shall be operated at the Gram Panchayat level. Funds received from Janpad Panchayat/ Zila Panchayat/ Council / Government of India/ other for implementation of rural employment guarantee scheme, shall be deposited in this account. This account will be operated with the joint signature of Sarpanch and Secretary of gram panchayat at Panchayat level. Amounts will be withdrawn with the joint signature of Sarpanch and gram panchayat secretary on recommendation of Programme officer. A separate cash book, voucher, debit ledger, credit ledger, cheque register, bank reconciliation register, Income-expenditure statement, muster roll and all sorts of assets register for the assets generated under the scheme shall be maintained at the village level. The Auditing of these records will be carried out by the Accountant General, Government of India, Auditor of Panchayat department and Local Fund Audit. Balance Sheet and statutory audit will be done by Chartered Accountant appointed by the Programme Officer. For maintaining accounts/ accounts examination directions will be issued by the Panchayat and Rural Department. For maintaining accounts for every gram panchayat or between two gram Panchayats one panchayat assistant will be provided.

5.6	Following information relating to income and expenditure incurred under National rural employment guarantee scheme shall be submitted every month in the prescribed formats;- **Gram Panchayat -** Statement of total income and expenditure of previous month must be submitted by 10th of every next month by gram panchayat to Janpad Panchayat. **Janpad Panchayat-** Reconciliation of income and expenditure statement, received from gram panchayat, shall be done by Janpad panchayat and after including expenditure incurred by Janpad panchayat, shall submit its income and expenditure statement by 20th of every month to Zila panchayat. **Zila Panchayat -** Reconciliation of income and expenditure statement, received from Janpad Panchayats/ departments, shall be done by Zila Panchayats and after including expenditure incurred by Zila Panchayat shall submitted its income and expenditure statement by 25th of every month to the head office (Chhattisgarh State Employment Guarantee Council). **State Level Head Quarter –** Information received from all district shall be compiled by the Chhattisgarh State Employment Guarantee Council and shall be sent to National Employment Guarantee Council on prescribed date and intervals.
	CHAPTER – 6 **QUALITY, MONITORING AND EVALUATION**
6.1	**Chhattisgarh State Employment Guarantee Council-** Successful implementation of works, continuous inspection and supervision of schemes will be done by the Chhattisgarh State Employment Guarantee Council.

6.2	**Quality Control-** A panel of Quality Monitors (specialists) at the state level will be set up for quality evaluation and maintenance of work being implemented under the programme. Quality monitors will ensure that the quality of the works is maintained upto the specification. Apart from the quality control maintained by the Panchayati Raj institutions and other implementing agencies, quality monitors will also have the responsibility to maintain quality control work. The state level quality monitors shall report to the State Government. Detailed guidelines for selection of Quality Monitors will be issued by the Panchayat and Rural Development Department.
6.3	**Panchayat Raj Institutions-**
6.3.1	Zila Janpad and Village level Panchayat Raj Institutions will play important role for monitoring the schemes.
6.3.2	A Vigilance and Valuation Committee shall be constituted for each work at gram panchayat level, who will execute quality, supervision and evaluation of works from time to time
6.3.3	It will be the responsibility of Gram Sabha that he will carry out continuous monitoring of the works being implemented by Gram Panchayat and also conduct Social Audit of the works done. It will be the responsibility of Gram Panchayat and concerned implementing agency to make the availability of necessary documents like muster roll, bill, voucher, measurement book etc, in the gram sabha meeting.
6.3.4	Programme officer shall prepare action plan of works costing below rupees 5 lakhs of the selected schemes, at Janpad Panchayat level, which will be taken up by the gram panchayat, and shall obtain approval from District Programme Coordinator (Collector) through Zila Panchayat. After the approval of District Programme Coordinator, sanction orders will be issued by the Chief Executive officer of Janpad Panchayat. Continuous monitoring and supervision of works of Janpad Panchayat level shall be carried out by the State level Officer, District level officer/ Zila panchayat. Apart from this other works related to scheme shall be carried out by Janpad panchayat through state council and Zila panchayat, given to them from time to time.

6.3.5	Action plan regarding selection of works from those action plan which are to be carried in the district through implementing agencies, shall be prepared by the Assistant Programme Coordinator (Chief Executive Officer, District Panchayat) at Zila panchayat level, and shall obtain sanction from District Coordinator and the sanction order shall be issued by the Chief Executive Officer of Zila Panchayat.
6.3.6	It will be the responsibility of District Panchayat that after duly finalizing the Janpad level development schemes, shall submit to the District Programme Coordinator (Collector) for approval. He shall keep doing regular inspection and supervision of ongoing works in the district and shall execute other works handed over by the state council.
6.3.7	**Other Implementing Agency-** A regular monitoring and valuation of employment oriented works, being carried out by various departments, shall be done as per departmental manual by the concerned department only. This work will be executed guidelines of employment guarantee scheme.
6.4	**Supervision by the District Programme Coordinator-**
	It will be the responsibility of District Programme Coordinator for successful implementation of scheme in the district. Review of implementation of schemes every fortnightly will be done at his level, and will give proper instructions to his subordinate officers and implementing agencies. If any case regarding payment of unemployment allowance, comes to his notice, then after analyzing the reasons he will takc proper action.
6.4	**Transparency and Responsibility-**
6.4.1	**Audit-**
6.5.1.1	It is compulsory to make arrangement for physical and financial auditing of entire works under the scheme. This should be carried out by each district at the close of financial year.

6.5.2.3	It will be compulsory to read out details of enlisted laborers' name in the muster roll, amount paid, man days, non-working days before the gram sabha.
6.5.3	**Action on Audit Report by Chhattisgarh employment guarantee Council-** It is necessary to submit each Audit report to Chhattisgarh employment guarantee council, whether it is audited by Chartered Accountant, Local Fund Audit, Internal Audit Cell, Auditors of Accountant General or by Social Audit. The council will ensure that action is taken regarding economic irregularities, forgery, wrong measures, false entries in muster roll and other serious irregularities, by means of which governments resources have been misused, as early as possible, to take appropriate action to stop such kind of wrongdoing.
6.6	**Coordination between Janpad Panchayat level implementing agency and Programme Officer-** It will be the responsibility of entire Janpad Panchayat level implementing agencies that they must render all possible help and cooperation to Programme Officer for successful implementation of schemes.
6.7	**Right of Information-** As per administrative directions issued by the Panchayat and Rural Development department, the requisite information shall be made available under Right of Information to the applicant at each level.
6.8	**Training-** Necessary trainings must be made available to concern office bearers/ officers/ staff for successful implementation of National Rural employment guarantee scheme by the Panchayat and Rural Development department at each level.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2013

क्रमांक 448/पं.ग्रा.वि.वि./22/2013.—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त योजना में,—

1. योजना के कंडिका 1.1 में, शब्द "छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2005" के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2005" प्रतिस्थापित किया जाए।

2. योजना में जहां कहीं भी शब्द "छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" आया हो, के स्थान पर, शब्द "छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" प्रतिस्थापित किया जाए।

3. योजना में कंडिका 1.2 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"1.2 प्रदेश में योजना का क्षेत्राधिकार राज्य के समस्त 27 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में होगा।"

4. योजना के कंडिका 1.6.1 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"1.6.1 राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् का गठन किया जावेगा, जिसमें निम्नानुसार पदाधिकारी/सदस्य होंगे :—

(i)	अध्यक्ष	: मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
(ii)	उपाध्यक्ष	: मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(iii)	पदेन सदस्य	: मंत्री, वित्त एवं योजना विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(iv)	पदेन सदस्य	: मंत्री, वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(v)	पदेन सदस्य	: मंत्री, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(vi)	पदेन सदस्य	: मंत्री, राजस्व विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(vii)	पदेन सदस्य	: मंत्री, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(viii)	पदेन सदस्य	: मंत्री, कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

(ix) पदेन सदस्य : मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

(x) पदेन सदस्य : मंत्री, विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

(xi) पदेन सदस्य : मंत्री, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

(xii) पदेन सदस्य : उपाध्यक्ष, राज्य योजना मण्डल

(xiii) पदेन सदस्य : मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

(xiv) पदेन सदस्य : आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा

(xv) सदस्य सचिव : अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

(xvi) नामांकित सदस्य : राज्य शासन द्वारा नामांकित 6 अशासकीय सदस्य रहेंगे, जिनमें से कम से कम दो महिलाये होंगी। पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधि–1, अनु.जाति–1, अनु.जनजाति–1, अन्य पिछड़ा वर्ग–1, अल्प संख्यक–1, गैर शासकीय संगठन–1 का प्रतिनिधि होना अनिवार्य है।"

5. योजना के कंडिका 1.6.2 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"1.6.2 छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् की सामान्य सभा के कार्य :–

(i) राज्य में योजना और उसके क्रियान्वयन से संबंधित सभी विषयों पर राज्य शासन को सलाह देना।

(ii) अधिमानित कार्यो का अवधारणा करना।

(iii) योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यो की प्राथमिकता निर्धारण करना और अधिनियम की अनुसूची–एक, अनुच्छेद–1 (xvi) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा भारत सरकार को भेजे जाने वाले कार्य प्रस्तावित करना।

(iv) योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करने के संबंध में नीति तय करना।

(v) केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद् से आवश्यक समन्वय स्थापित करना।

(vi) योजना के क्रियान्वयन से संबंधित पर्यवेक्षण, अनुश्रवण करना।

(vii) राज्य शासन द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

(viii) केन्द्रीय्र रोजगार गारंटी परिषद् अथवा राज्य शासन द्वारा निर्देशित अन्य कार्यों को निष्पादित करना।

(ix) भारत सरकार, राज्य शासन एवं स्वायत संस्थाओं के सहयोग से परिषद् के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उपयुक्त अधिकार सम्पन्न प्रशासकीय ढाँचा निर्मित करना।

(x) परिषद् के कार्य संचालन हेतु नियम बनाना, आवश्यकतानुसार नियमों में संशोधन करना, नियमों में परिवर्तन करना और नियमों को निरस्त करना।

(xi) राज्य स्तरीय सशक्त समिति को ऐसी शक्तियाँ एवं कर्तव्य सौपना जैसा परिषद् उचित समझे।

(xii) राज्य में अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित योजनाओं का मूल्यांकन करने तथा उस प्रयोजन के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से संबंधित आंकडे संग्रहित करने या करवाने की शक्ति।

(xiii) ऐसे समस्त कार्य एवं गतिविधियाँ हाथ में लेना जो परिषद् के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों।"

6. योजना के कंडिका 1.6.3 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"**1.6.3** परिषद् की एक कार्यकारिणी समिति होगी, जिसका नाम राज्य स्तरीय सशक्त समिति होगा, जिसमें निम्नानुसार पदाधिकारी/सदस्य होंगे :–

(i) अध्यक्ष : मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

(ii) उपाध्यक्ष : अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

(iii) सदस्य : कृषि उत्पादन आयुक्त

(iv) सदस्य : प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

(v) सदस्य : प्रमुख सचिव, वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

(vi) सदस्य : प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

(vii) सदस्य : प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

(viii) सदस्य : प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

(ix) सदस्य : प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

(x) सदस्य : प्रमुख सचिव, आदिम जाति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

(xi) सदस्य : प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

(xii) सदस्य : प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

(xiii) सदस्य : प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

(xiv) सदस्य : आयुक्त, जनसम्पर्क

(xv) सदस्य : संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण

(xvi) सदस्य : प्रभारी, राज्य सूचना केन्द्र

(xvii) सदस्य सचिव : आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा

कार्यकारिणी समिति में विशेष आमंत्रित सदस्यों को भी बुलाने का प्रावधान होगा परन्तु विशेष आमंत्रित सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।"

7. योजना के कंडिका 1.6.5 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"1.6.5 राज्य स्तरीय सशक्त समिति निम्नांकित कार्य करेंगी :–

(i) सशक्त समिति को परिषद् के निर्णयों के अधीन रहकर परिषद् तथा योजना के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम के अंतर्गत समन्वय तथा मंत्रि–परिषद् को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में निर्णय लेने के लिए समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार होंगे।

(ii) महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन के लिए लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मत्स्य पालन विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, वित्त विभाग तथा कृषि विभाग के समस्त अधिकार राज्य स्तरीय सशक्त समिति को प्राप्त होंगे। महात्मा गांधी नरेगा के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए इस सशक्त समिति के सभी निर्णय अंतिम होंगे।

(iii) भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के परिपेक्ष्य में महात्मा गांधी नरेगा का क्रियान्वयन एवं वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत कार्यवाही करना।

(iv) परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न स्तरों जिसमें मैदानी स्तर भी सम्मिलित हो, को आवश्यक शक्तियां प्रत्यायोजित करना।

(v) केन्द्र सरकार से योजनांतर्गत प्राप्त राशि का संधारण।

(vi) महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित कार्यों के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।

(vii) जिलों से मांग अनुसार वित्तीय प्रबंधन करना।

(viii) शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु प्रक्रिया का निर्धारण करना एवं सुधार हेतु सुझाव देना।

(ix) योजना की समीक्षा करना एवं प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों के अनुसार कार्यवाही करना।

(x) योजना का प्रचार–प्रसार करना।

(xi) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार को विभिन्न अनुशंसा करना।

(xii) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में समिति द्वारा निर्णित प्रकरणों को मंत्रि–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(xiii) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष सामान्य सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(xiv) राज्य स्तरीय सशक्त समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(xv) अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

(xvi) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो सामान्य सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाए।

(xvii) परिषद् की समस्त चल–अचल सम्पत्ति, राज्य स्तरीय सशक्त समिति के नाम से रहेगी।

(xviii) परिषद् द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अंतरित नहीं की जाएगी।

(xix) विशेष बैठक आमंत्रित कर परिषद् के विधान में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर सामान्य सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। सामान्य सभा में कुल 2/3 सदस्यों के मत से संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

(xx) जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के अधीन छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् की क्रियान्वयन इकाई होगी।"

8. योजना के कंडिका 2.1.11 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"2.1.11 योजनांतर्गत प्राप्त 06 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय मद् से जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुरूप होगा।"

9. योजना के कंडिका 2.5.1 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"2.5.1 ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत में निवासरत अकुशल शारीरिक श्रम करने हेतु इच्छुक परिवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया "पंजीकरण अधिकारी/सरपंच ग्राम पंचायत" द्वारा की जावेगी।"

10. योजना के कंडिका 2.6.3 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"2.6.3 परिवार रोजगार कार्ड (जॉबकार्ड) में परिवर्तन के लिए ग्राम पंचायत सक्षम होगी। परिवर्तित परिवार रोजगार कार्ड सरपंच/पंजीयन अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया जावेगा। यदि ग्राम पंचायत द्वारा कोई संशोधन प्रस्तावित किए जाते है तो ग्राम पंचायत की अनुशंसा के अनुसार परिवार रोजगार कार्ड में संशोधन किए जाकर संशोधित परिवार रोजगार कार्ड परिवार के मुखिया को उपलब्ध कराया जाएगा।"

11. योजना के कंडिका 2.6.5 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"2.6.5 सरपंच के निर्णय से असंतुष्ट होने पर कार्यक्रम अधिकारी को सात दिवस में अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। कार्यक्रम अधिकारी यथोचित जांच उपरांत एक सप्ताह में अपील का निराकरण करेंगे। कार्यक्रम अधिकारी के निर्णय से व्यथित व्यक्ति अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष सात दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निराकरण एक सप्ताह में करना होगा।"

12. योजना के कंडिका 2.6.6 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात :–

"2.6.6 ग्राम पंचायत द्वारा किए गए संशोधनों की जानकारी कार्यक्रम अधिकारी को दी जावेगी। यदि कार्यक्रम अधिकारी किसी भी प्रविष्टि को संदिग्ध मानते हैं तो अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष अंतिम आदेश हेतु प्रस्तुत करेंगे, जिनका निर्णय अंतिम होगा।"

13. योजना के कंडिका 2.8.6 में शब्द एवं अंक "50 परिवारों" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "10 श्रमिकों" प्रतिस्थापित किया जाए।

14. योजना के कंडिका 2.8.8 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप रोजगार हेतु आवेदन प्राप्त होने पर रोजगार उपलब्ध कराना बंधनकारी होगा। पन्द्रह दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराने की दशा में बेरोजगारी भत्ते की पात्रता आवेदक को होगी।"

15. योजना के कंडिका 3.1 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"योजना के केन्द्र बिन्दु निम्नलिखित संकर्मों पर होगा और उसकी पूर्विकता क्रम प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा और वार्ड सभा के अधिवेशनों में अवधारित किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) जल संरक्षण एवं जल शस्य संचय, जिसके अंतर्गत कन्टूर खाइयॉ, कन्टूर बंध, गोलश्म चेक, गबियन संरचनाएं, भूमिगत नहरें, मिट्टी के बांध, स्टॉप बांध और झरनों का विकास भी है;
(ii) सूखारोधी, जिसके अंतर्गत वनरोपण और वृक्षारोपण भी है;
(iii) सिंचाई नहरें, जिनके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी हैं;
(iv) कंडिका 3.1.1 में विनिर्दिश्ट गृहस्थियों के स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई सुविधा, फार्म पर खोदा गया पोखर, बागवानी, वृक्षारोपण, मेढ़बंधन और भूमि विकास का उपबंध;
(v) पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण, जिसके अंतर्गत तालाबो का शुद्धिकरण भी है;
(vi) भूमि विकास;
(vii) जलरूद्व क्षेत्रों में जल निकास सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म, जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण नालियों को गहरा करना और उनकी मरम्मत करना, चौर नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिए विप्लव जल नालियों का संनिर्माण;
(viii) सभी मौसमों में पहुंच को उपलब्ध करने के लिए ग्रामीण संयोजकता, जिसके अंतर्गत गांव के भीतर, जहां कहीं आवश्यक हो, पुलिया और सड़कें भी है;
(ix) ब्लाक स्तर पर ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण;
(x) एनएडीईपी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, लिक्विड बायो-मेन्योर जैसे कृषि संबंधी संकर्म;
(xi) कुक्कुट आश्रय स्थल, बकरी आश्रय स्थल, पक्का फर्श, यूरिन टैंक का निर्माण और अजोला जैसा पशु भोजन संपूरक जैसे पशुधन संबंधी संकर्म;
(xii) सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मत्स्य पालन जैसे मत्स्य संबंधी संकर्म;
(xiii) तटीय क्षेत्रों में मछली शुष्कन यार्ड, बेल्ट वेजिटेशन जैसे संकर्म;

(xiv) सोक पिट्स, रिचार्ज पिट्स जैसे ग्रामीण पेयजल संबंधी संकर्म;

(xv) व्यक्तिगत घरेलू पखाने, विद्यालय शौचालय इकाइयॉ, आंगनबाड़ी शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे ग्रामीण स्वच्छता संबंधी संकर्म;

(xvi) ऐसा कोई अन्य कार्य, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, अधिसूचित किया जाए।"

16. योजना के कंडिका 3.1 के पश्चात्, निम्नलिखित कंडिका अंतःस्थापित किए जाए, अर्थात्:–

"**3.1.1** कंडिका 3.1 की मद (iv), (x), (xi) और (xiii) से (xv) में उल्लिखित सभी क्रियाकलाप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गृहस्थों या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बों की या भूमि सुधार के हिताधिकारियों की या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारियों की या कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथा परिभाषित छोटे या सीमांत कृषकों की या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) के अधीन हिताधिकारियों के स्वामित्वाधीन भूमि या गृह संपदा पर अनुज्ञात किये जाएंगे।

3.1.2 कंडिका 3.1 की मद (iv), (x), (xi) और (xiii) से (xv) में निर्दिष्ट संकर्मों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात्:–

(क) कंडिका 3.1.1 में निर्दिष्ट गृहस्थियों के पास जॉब कार्ड होगा; और

(ख) हिताधिकारी, उनकी भूमि या गृह संपदा पर की जाने वाली परियोजनाओं पर कार्य करेंगे।"

17. योजना के कंडिका 3.5.1 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"योजनांतर्गत कार्य करने वाले प्रत्येक श्रमिक को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के प्रावधान के तहत् भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी पाने का हक होगा।"

18. योजना के कंडिका 3.5.5 के पश्चात्, निम्नलिखित कंडिका अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"**3.5.6** मजदूरी का भुगतान, यदि इस प्रकार छूट न दी गई हो, केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार कर्मियों के बैंकों या डाकघरों में खोले गए एकल या संयुक्त बचत खातों के माध्यम से किया जाएगा।

3.5.7 (i) विभिन्न अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की दरों की अनुसूची इस प्रकार नियत की जाएगी कि विश्राम के एक घंटे सहित नौ घंटे के लिए

काम करने वाला कोई व्यस्क व्यक्ति सामान्यतया मजदूरी दर के बराबर मजदूरी उपार्जित कर सके।

(ii) किसी व्यस्क कर्मकार के कार्यदिवस, जिसके अंतर्गत विश्राम के अंतराल भी हैं, यदि कोई हों, इस प्रकार व्यवस्थित किए जाएंगे कि वह किसी दिवस को बारह घंटें से अधिक न हो ।"

19. योजना के कंडिका 3.6.1 से 3.6.5 तक के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"**3.6.1** योजनांतर्गत प्रत्येक पंजीकृत परिवार को मांग के आधार पर 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

3.6.2 योजनांतर्गत सभी कार्य एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराये गए श्रमिक दिवसों की प्रविष्टि परिवार रोजगार कार्ड में दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा।

3.6.3 बेरोजगारी भत्ता की पात्रता – महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार के लिए आवेदन देने वाले किसी मजदूर को उस तारीख के 15 दिन बाद तक भी रोजगार नहीं मिल पाता है, जिस तारीख से वह काम करना चाहता है तो निर्धारित दर के हिसाब से आवेदक को बेरोजगारी भत्ता देय होगा।

3.6.4 बेरोजगारी भत्ता निम्नानुसार देय नहीं होगा:–

3.6.4.1 प्राकृतिक आपदा जैसे– अतिवृष्टि, बाढ़, भूकम्प आदि ऐसी घटनाएँ जिन पर सामान्यतः किसी का नियंत्रण नहीं होता है तथा विषम परिस्थितिवश जैसे–दंगा–फसाद आदि में ग्राम पंचायत अथवा क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा इस अवधि में रोजगार उपलब्ध कराया जाना सम्भव न हो सके तब राज्य शासन द्वारा घोषित अवधि एवं क्षेत्र में बेरोजगारी भत्ता देय नहीं होगा।

3.6.4.2 ग्राम पंचायत अथवा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा आवेदक को कार्य पर उपस्थिति के लिये सूचना दिये जाने के 15 दिन के भीतर कार्य में उपस्थित नहीं होने पर।

3.6.4.3 ग्राम पंचायत अथवा क्रियान्वयन एजेंसी की अनुमति बिना एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए कार्य से लगातार अनुपस्थित रहने पर या किसी माह में एक सप्ताह से अधिक की कुल अवधि के लिये अनुपस्थित रहने पर, आवेदक तीन माह के लिये बेरोजगारी भत्ता का हकदार नहीं होगा, तथापि इस अवधि में रोजगार हेतु आवेदन कर सकता है।

3.6.4.4 उस अवधि हेतु जिसमें आवेदक अथवा उसके परिवार का कोई वयस्क सदस्य जिसका नाम परिवार रोजगार कार्ड में दर्ज है, योजनान्तर्गत कार्यरत है/रहा ।

3.6.5 बेरोजगारी भत्ता का आंकलन एवं भुगतान प्रक्रिया:–

3.6.5.1 योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता वित्तीय वर्ष में प्रथम 30 दिनों के लिये न्यूनतम मजदूरी दर के एक चौथाई दर से तथा शेष निरन्तर अवधि के लिये न्यूनतम

मजदूरी दर का आधा देय होगा। बेरोजगारी भत्ते की अधिकतम सीमा परिवार को कुल 100 दिन रोजगार हेतु प्राप्त होने वाली न्यूनतम मजदूरी राशि से अधिक नहीं होगी ।

3.6.5.2 प्रत्येक आवेदक को रोजगार प्रदाय हेतु निर्धारित तिथि की समाप्ति के 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्यक्रम अधिकारी को बेरोजगारी भत्ते के लिये आवेदन देना होगा। पृथक–पृथक अवधि हेतु बेरोजगारी भत्ता के लिये पृथक–पृथक आवेदन देना होगा ।

3.6.5.3 बेरोजगारी भत्ता हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ संबंधित अवधि में रोजगार की मांग हेतु दिये गए आवेदन की पावती संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

3.6.5.4 ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्देशित कार्य पर उपस्थित होने पर कार्य क्रियान्वयन अधिकारी द्वारा कार्य नहीं दिया गया हो तो तत्सबंधी कार्य में उपस्थित होने का प्रमाण/साक्ष्य आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा ।

3.6.5.5 ग्राम पंचायत प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/परीक्षण कर अपनी टीप के साथ कार्यक्रम अधिकारी को 05 दिवस के भीतर अग्रेषित करेगें।

3.6.5.6 कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पर 05 दिवस के भीतर बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जाकर, आदेश की प्रति आवेदक, ग्राम पंचायत एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जावेगा ।

3.6.5.7 बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति की दशा में कार्यक्रम अधिकारी को प्रत्येक आवेदन में रोजगार उपलब्ध नहीं कराने का कारण दर्शाना होगा।

3.6.5.8 बेरोजगारी भत्ते का भुगतान भी उसी तरह किया जाए, जिस तरह मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

3.6.5.9 बेरोजगारी भत्ते के भुगतान में उस तारीख के बाद 15 दिन से ज्यादा विलंब नहीं होना चाहिए, जिस दिन से संबंधित आवेदक बेरोजगारी भत्ते का अधिकारी हो चुका है। यदि इसमें किसी तरह की देरी होती है तो आवेदक को मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत मुआवजा पाने का अधिकार होगा ।

3.6.5.10 बेरोजगारी भत्ते के भुगतान का विवरण प्रत्येक माह कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक को भेजा जावेगा तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा बेरोजगारी भत्ता का भुगतान एवं रोजगार अनुपलब्धता की स्थिति को स्पष्ट करते हुए त्रैमासिक प्रतिवेदन आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा को भेजा जायेगा ।"

20. योजना के कंडिका 4.1 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अथात्:—

"4.1 जिला कार्यक्रम समन्वयक जिले के लिए पंचवर्षीय योजन तैयार करवायेगा, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल होगी —

(i) जल संरक्षण एवं जल शस्य संचय, जिसके अंतर्गत कन्टूर खाइयॉ, कन्टूर बंध, गोलश्म चेक, गबियन संरचनाएं, भूमिगत नहरें, मिट्टी के बांध, स्टॉप बांध और झरनों का विकास भी है;

(ii) सूखारोधी, जिसके अंतर्गत वनरोपण और वृक्षारोपण भी है;

(iii) सिंचाई नहरें, जिनके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी हैं;

(iv) कंडिका 3.1.1 में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों के स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई सुविधा, फार्म पर खोदा गया पोखर, बागवानी, वृक्षारोपण, मेढ़बंधन और भूमि विकास का उपबंध;

(v) पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण, जिसके अंतर्गत तालाबो का शुद्धिकरण भी है;

(vi) भूमि विकास;

(vii) जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकास सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म, जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण नालियों को गहरा करना और उनकी मरम्मत करना, चौर नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिए विप्लव जल नालियों का संनिर्माण;

(viii) सभी मौसमों में पहुंच को उपलब्ध करने के लिए ग्रामीण संयोजकता, जिसके अंतर्गत गांव के भीतर, जहां कहीं आवश्यक हो, पुलिया और सड़कें भी है;

(ix) ब्लाक स्तर पर ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण;

(x) एनएडीईपी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, लिक्विड बायो—मेन्योर जैसे कृषि संबंधी सकर्म;

(xi) कुक्कुट आश्रय स्थल, बकरी आश्रय स्थल, पक्का फर्श, यूरिन टैंक का निर्माण और अजोला जैसा पशु भोजन संपूरक जैसे पशुधन संबंधी संकर्म;

(xii) सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मत्स्य पालन जैसे मत्स्य संबंधी सकर्म;

(xiii) तटीय क्षेत्रों में मछली शुष्कन यार्ड, बेल्ट वेजिटेशन जैसे संकर्म;

(xiv) सोक पिट्स, रिचार्ज पिट्स जैसे ग्रामीण पेयजल संबंधी संकर्म;

(xv) व्यक्तिगत घरेलू पखाने, विद्यालय शौचालय इकाइयॉ, आंगनबाड़ी शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे ग्रामीण स्वच्छता संबंधी संकर्म;

(xvi) ऐसा कोई अन्य कार्य, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, अधिसूचित किया जाए।"

21. योजना के अध्याय 4 की कंडिका 4.8 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"**4.8** कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ की गई परियोजनाओं की सामग्री संघटक की लागत, जिसके अंतर्गत कुशल और अर्धकुशल कर्मकारों की मजदूरी भी है, प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर कुल परियोजना लागत के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।"

22. योजना के अध्याय 5 की कंडिका 5.1 से 5.6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत वित्तीय प्रबंधन "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, छत्तीसगढ़ निधि नियम, 2011" के प्रावधान के तहत् किया जाएगा।"

23. योजना के कंडिका 6.3.4 का लोप किया जाए।

24. योजना के कंडिका 6.3.5 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"**6.3.5** जिला पंचायत स्तर पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा योजना की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना से जो कार्य मांग अनुसार जिले की विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाना है, के चयन संबंधी योजना तैयार कर जिला कार्यक्रम समन्वयक से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी करेंगे।"

25. योजना के कंडिका 6.4 के पश्चात उल्लिखित शीर्षक "**6.4 पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व**" के स्थान पर, "**6.5 पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व**" प्रतिस्थापित किया जाए।

26. योजना के कंडिका "**6.4.1 ऑडिट**" के स्थान पर, "**6.5.1 ऑडिट**" प्रतिस्थापित किया जाए।

27. योजना के कंडिका 6.5.1.3 के पश्चात् निम्नलिखित कंडिका जोड़ी जाए, अर्थात्:–

"**6.5.1.4** योजनांतर्गत अंकेक्षण का कार्य भारत सरकार द्वारा अधिसूचित "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011" के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।"

28. योजना के कंडिका 6.5.2.3 के पश्चात् निम्नलिखित कंडिका जोड़ी जाए, अर्थात्:–

"**6.5.2.4** योजनांतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का कार्य भारत सरकार द्वारा अधिसूचित "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011" के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2013

क्रमांक 449/पं.ग्रा.वि.वि./22/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 448 दिनांक 12-02-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, उप-सचिव.

Raipur, the 12th February 2013

No. 448/22/PRDD/2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, the Government of Chhattisgarh hereby makes following amendment in the notification No. 1069/V-3/NREGS/2006, dated 3rd March, 2006 published by Panchayat and Rural Development department in the Chhattisgarh gazette (Asadharan) vide No. 78 dated 8 March, 2006, namely :—

1.	**In Para 1.1 of the State scheme, following new Para shall be substituted, namely :—**
	In place of words **"Chhattisgarh Rural Employment Guarantee Scheme 2005"** the words **"Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme"** shall be substituted. Wherever words **"Chhattisgarh Rural Employment Guarantee Scheme has occurred** shall be substituted by words **"Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme".**
2.	**For Para 1.2 of the State scheme, following new Para shall be substituted, namely :—**
	The extent of the scheme will be the rural areas of all 27 districts of the State.
3.	**For Para 1.6.1 of the state scheme, following new Para shall be substituted, namely :—**
	There shall be constituted a **"Chhattisgarh State Employment Guarantee Council"** at the State level, which shall consist of the following office bearers/members :— (i) Chairman — Chief Minister, Government of Chhattisgarh (ii) Vice Chairman — Minister for Panchayat & Rural Development

(i) To advice state Government in all matters related to schemes and their implementation in the state

(ii) Ascertaining preference of works

(iii) To ascertain preference of work to be undertaken under the scheme and make proposals of works to be sent to Government of India by the state government under schedule I of section 1(xvi) of the Act.

(iv) To make extensive publicity & dissemination of the scheme;

(v) To establish necessary co-ordination with the Centrall Employment Guarantee Council.

(vi) To supervise and monitor in relation with the implementation of the scheme;

(vii) To prepare annual report for placing before the legislative Assembly by state Government

(viii) To execute other duties as instructed by the Central Employment Guarantee Council or State Government

(ix) To construct a proper rightful administrative structure for achieving the aims of council with the help of Central and state government and Autonomous institutes;

(x) To make rules, make amendments in the rules according to necessity, make changes in rules and cancel the rules, for conduct of functions of the council;

(xi) To entrust such powers and duties to state level empowered committee as the council may deem fit;

(xii) Shall invite special meeting to discuss on the proposals forr amendment in the Council Act, to be submitted in the special meeting of the General Body for its approval. After approval of proposed amendment by 2/3rd members of general body, the approved proposal shall be sent to Registrar for approval.

(xiii) To take all such works and activities in hand which are essential for fulfilling the aims of the Council

5.	**For Para 1.6.3 of the state scheme, following new Para shall be substituted, namely:-**
	There shall be a state level empowered committee of the council which shall be named as State Level Empowerment Committee which shall consist of the following office bearers/members:-
	(i) Chairman — Chief Secretary (ii) Vice Chairman — Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Panchayat and Rural Development department (iii) Member — Commissioner, Agriculture Production (iv) Member — Principal Secretary, Finance Department (v) Member — Principal Secretary, Forest Department (vi) Member — Principal Secretary, Water Resource Department (vii) Member — Principal Secretary, Revenue Department (viii) Member — Principal Secretary, Public Works Department (ix) Member — Principal Secretary, Agriculture Department (x) Member — Principal Secretary, Tribal Welfare Department (xi) Member — Principal Secretary, Labour Department (xii) Member — Principal Secretary, Law & Legislature Department (xiii) Member — Principal Secretary, General Administration department (xiv) Member — Commissioner, Public Relation (xv) Member — Director, Panchayat and Social Welfare (xvi) Member — In-Charge, National Information Centre (xvii) Member Secretary — Commissioner, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Council

	There will be provision to invite special invitee members in the Working Committee but these special invitee members will not have the right to vote.
6.	**For Para 1.6.5 of the state scheme, following new Para shall be substituted, namely:-**
	The State Level Empowerment Committee shall perform following duties:
	(i) The State Level Empowerment Committee, under the decisions of the Council, shall coordinate for fulfillment of objectives of the scheme under guiding principles of Chhattisgarh state administration and shall have the powers to take all financial and administrative decisions in the matter to be submitted before the Cabinet. (ii) The State Level Empowerment Committee shall have all the powers of the Public works department, Panchayat & Rural Development department, Fisheries department, Water Resource, Forest, Finance and Agriculture department for implementation of MNREGA scheme. All the decisions taken by the Committee in respect of proper implementation of MNREGA schemes shall be final. (iii) To take action under guiding principles of Government of India in relation with implementation of MNREGA schemes and financial powers. (iv) To delegate essential powers at different level including field level to accomplish objectives of the council. (v) Maintenance of funds received from Government of India under the scheme. (vi) Establish coordination between different departments in relation with MNREGA works. (vii) Management of finance according to demands of the districts. (viii) To determine procedure for speedy abrogation of complaints and give suggestions for improvement. (ix) To review the scheme and to take action in accordance with delegated financial powers

	(x) Publication and dissemination of the scheme (xi) To make various recommendations to Central Government under the provision of the Act. (xii) To submit the cases decided every quarter by the Rural Development department, before the Cabinet (xiii) To submit previous year's income expenditure statement along with audited progress report in the general body meeting every year. (xiv) To disburse pay, allowances etc to officers/ staff of State level empowerment committee and institutions administered under it. To pay taxes etc to be levied upon its movable and immovable properties. (xv) To make appointments of officers/ staff. (xvi) To perform other essential works, which may be assigned by the General Body from time to time. (xvii) All movable and immovable properties of the council shall be in the name of State Level Empowerment Committee. (xviii) No property shall be sold or purchased or mortgaged by the Council without written permission of the Registrar. (xix) Shall invite special meeting to discuss on the proposals of amendment to be submitted before the Council and obtain approval of the General Body. After approval of the proposed amendment by 2/3rd members of General Body, the approved proposal shall be sent to Registrar for approval. (xx) There shall be an implementing unit of Chhattisgarh Rural employment guarantee council under the Additional District Programme Coordinator at the district level.
7.	**For Para 2.1.11 of the state scheme, following new Para shall be substituted, namely:-**
	Expenses incurred at the District, Janpad and Gram Panchayat level shall be reimbursed from 6% of amount received under the scheme for administrative expenses as per guide lines issued by Government of India.

8.	**For Para 2.5.1 of the state scheme, following new Para shall be substituted, namely:-**
	Registration process of families who are willing to work as unskilled physical labour, living in rural areas of particular gram panchayat, shall be done by the registration officer/ village sarpanch.
9.	**For Para 2.6.3 of the state scheme following new Para shall be substituted, namely:-**
	Gram Panchayat will be the competent authority for making any modification in the family employment card (job card). Modified family employment card will be issued with due signature of the Sarpanch/ Registration officer. If any changes are proposed by the gram panchayat then the modified family employment card shall be provided to the head of the family after having made changes in the family employment card on recommendation of the Gram Panchayat.
10	**For Para 2.6.5 of the state scheme, following new Para shall be substituted, namely:-**
	On being dissatisfied with the decision of Sarpanch, an appeal can be submitted to Programme Officer within 7 days. Programme Officer after conducting proper inquiry shall abrogate the appeal within a week time. On being dissatisfied with the decision of Programme Officer, may submit an appeal before Additional District Programme Coordinator within a week days, which must be abrogated within one week.
11.	**For Para 2.6.6 of the state scheme, following new Para shall be substituted, namely:-**
	Information regarding modifications made by gram panchayat should be given to Programme officer. If Programme officer feels doubtful about any entries then he shall produced the same before Additional District Programme Coordinator for final orders, whose decision shall be final.
12	**In Para 2.8.6 of the scheme,** for word and figure **"50 families"**, word and figure **"10 labourers"** shall be substituted.

13	**For Para 2.8.8 of the state scheme, following new Para shall be substituted, namely:-**
	It is bound to provide employment on the receipt of application for employment as per provision of the Act. In case employment could not be provided with in 15 days then the applicant will become eligible to receive unemployment allowance.
14	**For Para 3.1 of the state scheme, following new Para shall be substituted, namely:-**
	Main focus of the scheme shall be on the following works and order of priority shall be determined by each gram panchayat in the meetings of Gram Sabha and Ward Sabha, namely:-
	(i) Water conservation and water harvesting including contour trenches, contour bunds, boulder checks, gabion structures, underground dykes, earthen dams, stop dams and spring shed development. (ii) drought proofing including Afforestation and tree plantation; (iii) irrigation canal including micro and minor irrigation works; (iv) provision of irrigation facility, dug out farm pond, horticulture, plantation, farm bunding and land development on land owned by households specified in para 3.1.1; (v) renovation of traditional water bodies including desilting of tanks; (vi) land development. (vii) Flood control and protection works including drainage in water logged areas including deepening and repairing of flood channels, chaur renovation, construction of storm water drains for coastal protection; (viii) Rural connectivity to provide all weather access, including culverts and roads within a village, wherever necessary; (ix) Construction of Bharat Nirman Rajiv Gandhi Sewa Kendra as knowledge Resource Centre at the Block level and as Gram Panchayat Bhawan at the Gram Panchayat level; (x) Agriculture related works, such as, NADEP composting, vermin-composting, liquid, bio-manures; (xi) Livestock related works, such as poultry shelter, goat shelter, construction of pucca floor, urine tank and fodder trough for cattle, azolla as cattle-feed supplement;

	(xii) Fisheries related works, such as, fisheries in seasonal water bodies on public land; (xiii) Works in coastal areas, such as, fish drying yards, belt vegetation. (xiv) Rural drinking water related works, such as, soak pits, recharge pits; (xv) Rural sanitation related works, such as, individual household latrines, school toilet units, anganwadi toilets, solid and liquid waste management; (xvi) Any other work which may be notified by the Central Government in consultation with the State Government.
15.	**After Para 3.1 following new Para 3.1.1 and Para 3.1.2 shall be inserted, namely**
3.1.1	All activities mentioned in items (iv), (x), (xi) and items (xiii) to (xv) of paragraph 3.1 shall be allowed on land or homestead owned by households belonging to the scheduled Castes and Scheduled Tribes or below poverty line families or the beneficiaries of land reforms or the beneficiaries under the Indira Awas Yojana of the Government of India or that of the small or marginal farmers as defined in the Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008 or the beneficiaries under the Schedule3d Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No.2 of 2007)
3.1.2	The works referred to in items (iv), (x), (xi) and items (xiii) to (xv) of paragraph 3.1 shall be taken up subject to the following conditions, namely:- a. The households referred to in paragraph 3.1 shall have the job card; and b. The beneficiaries shall work on the project undertaken on their land or homestead.
16.	**For Para 3.5.1 of the state scheme, following new para shall be substituted, namely:-**
	Every person working under the scheme shall have the right to receive wages as notified by the Government of India under the provision of Section 6(1) of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

17.	**After Para 3.5.5 following new Para shall be inserted, namely:-**
3.5.6	The payment of wages shall unless so exempted be made through the individual or joint savings accounts of the workers in the bank or post offices opened in accordance with the directions of the Central Government.
3.5.7	(i) The schedule of rates of wages for various unskilled labour shall be so fixed up that an adult person working for nine hours including an hour of rest would normally earn a wage equal to the wage rate. (ii) The working days of an adult worker shall be so arranged that inclusive of intervals of rest, if any, it shall not spread over more than twelve hours on any day.
18.	**In place of Para 3.6.1 to 3.6.5, following new Para shall be substituted, namely:-**
3.6.1	A family registered under the scheme shall be provided 100 days employment as per demand.
3.6.2	Entries of man days, provided in all works under scheme through agencies, shall be made in the family employment card.
3.6.3	Eligibility for Unemployment allowance- Any labour after submitting application under Mahatma Gandhi National Rural Employment scheme for an employment, do not get employment even after 15 days from the date of application, shall be paid unemployment allowance at prescribed rate from the date of his application.
3.6.4	Unemployment allowance shall not be paid:-
3.6.4.1	Natural calamities such as- draught, floods, earthquake etc on which generally nobody has control over it, and critical conditions like strikes etc. during these days if it is not possible for Gram Panchayats and implementing agencies to provide employment, then the unemployment allowance shall not be paid for the specific period and area as notified by the State Government.
3.6.4.2	In case applicant did not present for work within 15 days from the date of notice issued by Gram Panchayat or implementing agency.

3.6.4.3	In case applicant become absent for more than one week continuously or become absent for more than a week in any month, applicant will not have the right to get unemployment allowance for three months. However during this period he can apply for employment.
3.6.4.4	In case during that period in which applicant or any adult member of his family member's names are enlisted in the family employment card, and has been working/ has worked.
3.6.5	**Evaluation of Unemployment Allowance and disbursement process:-**
3.6.5.1	Unemployment allowance for the first 30 days during the financial year shall be paid at one fourth rate of the minimum wage rate and half the rate of minimum wage for remaining continuous days. Maximum limit of unemployment allowance shall not exceed total wages of 100 days to be provided to a household at minimum wage rate.
3.6.5.2	Every applicant shall have to submit an application for employment within 15 days before the close of prescribed period to Programme officer through Gram Panchayat for unemployment allowance. Separate application for unemployment allowance for separate period shall be to be submitted.
3.6.5.3	It is necessary to enclose the receipt of application submitted seeking for employment, along with the application submitted for unemployment allowance.
3.6.5.4	It shall be compulsory to enclose a certificate/ evidence that employment was not provided by the implementing agency when the applicant was present at the work site as directed by Gram Panchayat/ Programme officer, otherwise his application will be rejected.
3.6.5.5	Gram Panchayat shall scrutinize/ examine the application so received, and shall forward to Programme officer with his comments within 5 days.
3.6.5.6	After having taken decision of acceptance/ rejection of applications received by the Programme officer regarding unemployment allowance within 5 days, shall provide order copy to the applicant, Gram Panchayat and District Programme Coordinator compulsorily.

3.6.5.7	In case of sanctioning unemployment allowance Programme officer shall have to mention reasons on every application for not providing employment.
3.6.5.8	Disbursement of unemployment allowance should be done in same manner as labour payment is being done.
3.6.5.9	There should not be delay in disbursement of unemployment allowance for more than 15 days from the date on which applicant has got the right to receive the allowance. If there is any delay then the applicant will have the right to get compensation under Labour Payment Act, 1936.
3.6.5.10	Details of disbursement of unemployment allowance shall be sent to District Programme Coordinator every month by Programme officer and a quarterly report stating specific reasons regarding payment of unemployment allowance and unavailability of employment shall be sent to Commissioner, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee council by the District Programme Coordinator.
19.	**For Para 4.1 of the state scheme, following new Para shall be substituted namely:-**
	District Programme Co-ordinator shall get prepared a five year plan for the district, in which the following activities will be included on priority basis :-
	(i) Water conservation and water harvesting including contour trenches, contour bunds, boulder checks, gabion structures, underground dykes, earthen dams, stop dams and spring shed development. (ii) drought proofing including Afforestation and tree plantation; (iii) irrigation canal including micro and minor irrigation works; (iv) provision of irrigation facility, dug out farm pond, horticulture, plantation, farm bunding and land development on land owned by households specified in para 3.1.1; (v) renovation of traditional water bodies including desilting of tanks; (vi) Land development. (vii) Flood control and protection works including drainage in water logged areas including deepening and repairing of flood channels, chaur renovation, construction of storm water drains for coastal protection;

	(viii) Rural connectivity to provide all weather access, including culverts and roads within a village, wherever necessary; (ix) Construction of Bharat Nirman Rajiv Gandhi Sewa Kendra as knowledge Resource Centre at the Block level and as Gram Panchayat Bhawan at the Gram Panchayat level; (x) Agriculture related works, such as, NADEP composting, vermin-composting, liquid, bio-manures; (xi) Livestock related works, such as poultry shelter, goat shelter, construction of pucca floor, urine tank and fodder trough for cattle, azolla as cattle-feed supplement; (xii) Fisheries related works, such as, fisheries in seasonal water bodies on public land; (xiii) Works in coastal areas, such as, fish drying yards, belt vegetation. (xiv) Rural drinking water related works, such as, soak pits, recharge pits; (xv) Rural sanitation related works, such as, individual household latrines, school toilet units, anganwadi toilets, solid and liquid waste management; (xvi) Any other work which may be notified by the Central Government in consultation with the State Government.
20	**Para 4.8 of the state scheme under Chapter IV, shall be deleted and in place following new Para shall be inserted, namely:-**
	The cost of material component of projects including the wages of the skilled and semi-skilled workers taken up under the scheme at every Gram Panchayat level shall not exceed 40% of the total cost of the project.
21	**Para 5.1 to 5.6 of Chapter V, shall be deleted and in place following new Para shall be inserted, namely:-**
	The Financial Management under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee shall be maintained as per the provisions of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee, Chhattisgarh Funding Rules, 2011.
22.	**Para 6.3.4 of the state scheme shall be deleted.**

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

DHANANJAY DEWANGAN, Deputy Secretary.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 1-79/2012/16.—चूंकि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कारखानों में उक्त अनुसूची के कालम (4) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट/प्रक्रिया/संक्रिया की जाती है.

और चूंकि, राज्य सरकार की राय में उक्त निर्माण/प्रक्रिया/संक्रिया में कारखानों में नियोजित व्यक्तियों को उक्त अनुसूची के कॉलम (5) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट शारीरिक क्षति की जोखिम/विषाक्तता/बीमारी/स्वास्थ्य का परिसंकट अन्तर्वलित है.

अतएव कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 64) की धारा 40-ख की उपधारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त कारखानों के अधिष्ठाताओं से यह अपेक्षा/अधिकृत रूप से यह मांग करती है कि वे उक्त अनुसूची के कालम (6) की तत्स्थानी प्रतिष्ठियों में विनिर्दिष्ट संख्या में सुरक्षा अधिकारी/अधिकारियों को नियोजित करें.

No. F 1-79/2012/16.—Whereas, in the factories specified in column (2) of the Schedule below, the manufacturing process/operation specified in the Corresponding entries in column (4) is carried on.

And whereas, in the opinion of the State Government the said manufacturing process/operation involves risk of bodily injury/poisoning/disease/hazard to the health as specified in the corresponding entries in column (5) of the said Schedule to the persons employed in the factories ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 40-B of the Factories Act, 1948 (No. LXIII of 1948) and in supersession of all previous notification issued on the subject, the State Government hereby requires the occupiers of the said factories to employ such number of safety officer/officers as specified in the corresponding entries in column (6) thereof.

क्र.	कारखानों का नाम व पता	श्रमिक संख्या	विनिर्माण प्रक्रिया	1. शारीरिक क्षति का जोखिम 2. विषाक्तता 3. बीमारी 4. स्वास्थ्य का परिसंकट (जो लागू हो)	सुरक्षा अधिकारियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			जिला—बिलासपुर (छ.ग.)		
1.	मेसर्स-नोवा आयरन एन्ड स्टील लि. दगौरी, बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	500	Sponge Iron and Power Generation	शारीरिक क्षति का जोखिम व स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
2.	मेसर्स-नर्मदा ड्रिंग्स प्रा.लि., सेक्टर-बी, औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	500	कोल्ड ड्रिंग्स बॉटलिंग प्लांट	शारीरिक क्षति का जोखिम व स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
3.	मेसस-बी.ई.सी. फर्टिलाईजर्स, सेक्टर-ए, औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.).	250	सिंघल सुपर फास्फेट एण्ड सल्फ्यूरिक अम्ल.	शारीरिक क्षति का जोखिम व स्वास्थ्य का परिसंकट.	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	मेसर्स-एजियो पेपर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., ग्राम ढेका पो. दर्रीघाट मस्तूरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	750	पल्प एवं पेपर का निर्माण	शारीरिक क्षति का जोखिम व स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
5.	मेसर्स-सुधा एग्रो ऑयल एण्ड केमिकल इण्ड. लि., ग्राम मोहतराई रतनपुर रोड, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	250	Power Generation and Mfg of Crude Oil by Solvent Extraction.	शारीरिक क्षति का जोखिम व स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
6.	मेसर्स-भाठिया वाईन्स मर्चेंट प्रा.लि. ग्राम-धुमा सरगांव, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	500	एल्कोहल निर्माण एवं बॉटलिंग प्लांट.	शारीरिक क्षति का जोखिम व स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
7.	मेसर्स-इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि., तारबहार फाटक बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	50	पेट्रोलियम पदार्थों का संग्रहण एवं वितरण.	शारीरिक क्षति का जोखिम व स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
8.	मेसर्स- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., तारबहार रेलवे फाटक, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	50	पेट्रोलियम पदार्थों का संग्रहण एवं वितरण.	शारीरिक क्षति का जोखिम व स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
	जिला—जांजगीर-चांपा (छ.ग.)				
9.	मेसर्स-एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि., ग्राम-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	555	विद्युत उत्पादन	शारीरिक क्षति का जोखिम व स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
10.	आरसमेटा केप्टिव्ह पावर कं. प्रा., लि., गोपाल नगर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	500	विद्युत उत्पादन	शारीरिक क्षति का जोखिम व स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
11.	मेसर्स के.व्ही.के. बायो एनर्जी प्रा. लि., ग्राम-अमरताल, तह.-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	250	विद्युत उत्पादन	शारीरिक क्षति का जोखिम व स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
	जिला—दुर्ग				
12.	सिम्पलेक्स इंजी. एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स प्राय. लिमि. यूनिट-1 इण्ड. इस्टेट, भिलाई.	750	फेब्रीकेशन, स्टील स्ट्रक्चर, स्पेयर पार्टस.	शारीरिक क्षति का जोखिम	01
13.	सिम्पलेक्स इंजी. एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स प्राय. लिमि. यूनिट-2 इण्ड. इस्टेट, भिलाई.	750	फेब्रीकेशन, स्टील स्ट्रक्चर, स्पेयर पार्टस.	शारीरिक क्षति का जोखिम	01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	सिम्पलेक्स कास्टिंग्स लिमि. 5 इण्ड. इस्टेट, भिलाई.	750	कास्ट आयरन कास्टिंग्स	शारीरिक क्षति का जोखिम	01
15.	एनटीपीसी सेल पावर कं. प्राय. लिमि., भिलाई.	500	पावर जनरेशन	शारीरिक क्षति का जोखिम व स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
16.	ओस्लो बीके कास्टिंग लिमि. 25/28 लाईट इण्ड. एरिया, भिलाई.	500	कास्ट आयरन कास्टिंग्स, मशीनिंग, फेब्रीकेशन.	शारीरिक क्षति का जोखिम	01
17.	छत्तीसगढ डिस्टलरीज लिमि., यूनिट-1 कुम्हारी, जिला-दुर्ग.	750	फर्मेंटेशन एंड डिस्टीलेशन आफ एल्कोहल.	शारीरिक क्षति का जोखिम	01
18.	छत्तीसगढ डिस्टलरीज लिमि., यूनिट-2 कुम्हारी, जिला-दुर्ग.	500	ब्लेंडिंग एंड बाटलिंग आफ IMFL	शारीरिक क्षति का जोखिम	01
19.	सेल रिफरेक्ट्री यूनिट, मरोदा भिलाई.	750	रिफ्रेक्ट्री ब्रिक्स	स्वास्थ्य का परिसंकट	1
20.	सिंटरिंग प्लांट 1 भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई.	750	सिंटर फ्राम ओर फाइन	शारीरिक क्षति का जोखिम	01
21.	सिंटरिंग प्लांट 2 भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई.	750	सिंटर फ्राम ओर फाइन	शारीरिक क्षति का जोखिम	01
22.	सिंटरिंग प्लांट 3 भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई.	750	सिंटर फ्राम ओर फाइन	शारीरिक क्षति का जोखिम	01
23.	कोल केमिकल डिपार्टमेंट, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई.	360	सल्फयूरिक एसिड, सल्फेट, टार, बेन्जोल.	विषाक्तता/स्वास्थ्य का परिसंकट	1
24.	इनर्जी मेनेजमेंट डिपार्टमेंट, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई.	250	लिक्विड फ्यल सप्लाई इन प्लांट.	स्वास्थ्य का परिसंकट	1
25.	ऑक्सीजन प्लांट-2, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई.	250	प्रोडक्शन एंड सप्लाई आफ आक्सीजन, नाईट्रोजन, आर्गन.	स्वास्थ्य का परिसंकट	1
26.	फाउण्ड्री एण्ड पेटर्न शाप, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई.	750	पेटर्न मेकिंग, सी. आई. कास्टिंग	शारीरिक क्षति का जोखिम	01
27.	कन्वर्हटर शाप, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई.	850	लिक्विड स्टील	शारीरिक क्षति का जोखिम	01
28.	ब्लास्ट फर्नेस 7 काम्पलेक्स, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई.	250	पिग आयरन	शारीरिक क्षति का जोखिम	01
29.	वायर रॉड मिल, भिलाई स्टील प्लांट भिलाई.	750	रोलिंग आफ आयरन एंड स्टील	शारीरिक क्षति का जोखिम	01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	पावर एण्ड ब्लोइंग स्टोन, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई.	500	जनरेशन आफ इले. स्टील एंड हॉट एयर.	शारीरिक क्षति का जोखिम	01
31.	निरोज इस्पात प्राय. लिमि. हथखोज भिलाई.	500	स्पंज आयरन, पावर जनरेशन	शारीरिक क्षति का जोखिम	01
			जिला—कोरबा		
32.	मेसर्स-270 मेगावाट, थर्मल पावर प्लांट भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, पोस्ट- बालको नगर, जिला-कोरबा (छ.ग.)	704	विद्युत उत्पादन	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
33.	मेसर्स-540 मेगावाट, थर्मल पावर प्लांट, भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, पोस्ट- बालको नगर, जिला-कोरबा (छ.ग.)	894	विद्युत उत्पादन	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
34.	मेसर्स-आर्यन कोल बेनिफिकेशन (इ) प्रा. लि., 270 मेगावाट, बिंझरी कोल वाशरी, गेवरा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	326	विद्युत उत्पादन	शारीरिक क्षति का जोखिम व स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
35.	मेसर्स-आर्यन कोल बेनिफिकेशन इंडिया प्रा.लि., दीपका कोल वाशरी पोस्ट-गेवरा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	576	कोल वाशरी	शारीरिक क्षति का जोखिम व स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
36.	मेसर्स-आर्यन कोल बेनिफिकेशन (इ) प्रा. लि., चाकाबुडा कोल वाशरी, पोस्ट-जवेली, जिला-कोरबा (छ.ग.)	395	कोल वाशरी	शारीरिक क्षति का जोखिम व स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
37.	मेसर्स-आर्यन कोल बेनिफिकेशन (इ) प्रा. लि., गेवरा कोल वाशरी पोस्ट-गेवरा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	328	कोल वाशरी	शारीरिक क्षति का जोखिम व स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
38.	मेसर्स-आर्यन कोल बेनिफिकेशन (इ) प्रा. लि., 30 मेगावाट, चाकाबुडा थर्मल पावर प्लांट, जिला-कोरबा (छ.ग.)	154	विद्युत उत्पादन		1
			जिला—रायगढ़		
39.	मे. जिंदल स्टील एंड पावर लि., यूनिट-3, खरसिया रोड, रायगढ़.	700	इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट	शारीरिक क्षति का जोखिम	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40.	जिंदल स्टील एंड पावर लि., (यूनिट-4) एमएलएसएम प्लांट, खरसिया रोड, रायगढ़.	250	मीडियम एंड लाईट सेक्शन मिल.	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
41.	मे. जिंदल स्टील एंड पावर लि., (0.5 एमटीपीए स्लैग ग्राइंडिग यूनिट) खरसिया रोड, रायगढ़.	150	सीमेंट ग्राईडिंग यूनिट	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
42.	मे. जिंदल स्टील एंड पावर लि., डोंगामहुआ कैप्टीव्ह पावर प्लांट (4×135 मेवा) डोंगामहुआ, रायगढ़.	440	पावर प्लांट (4×135)	शारीरिक क्षति का जोखिम	2
43.	मे. रामेश्वरम स्टील एंड पावर प्रा.लि., बड़ेमुड़ा, रायगढ़.	500	स्पांज आयरन, पावर जनरेशन	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
44.	मे. एम.एस.पी. स्टील एण्ड पावर लि. जामगांव, रायगढ़.	900	स्पंज आयरन 24 मेवा. पावर प्लांट रोलिंग मिल, एस.एम. डस्ट.	शारीरिक क्षति का जोखिम	2
45.	मे. सिंघल इंटरप्राईजेस प्रा.लि., तराईमाल, गेरवानी.	965	स्पांज आयरन, इन्डक्शन फर्नेश, पावर जनरेशन, कोलवासरी.	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
47.	श्री श्याम इस्पात (इंडिया) प्रा. लि., तराईमाल, रायगढ़.	65	स्पंज आयरन	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
48.	सिंघल इनर्जी प्रा.लि., तराईमाल, रायगढ़.	58	स्पांज आयरन	शारीरिक क्षतिका जोखिम	1
49.	मे. एम. एस. पी. स्पांज आयरन लि., महुआपाली, जामगांव, रायगढ़.	200	फेरो एलायज, पावर जनरेशन	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
50.	मे. इंड सिनर्जी लि., कोटमार, रायगढ़	642	स्पंज आयरन स्टील एण्ड पावर	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
51.	मे. इंड पावर लि., कोटमार, रायगढ़	60	पावर	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
52.	मे. अंजनी स्टील लि. उज्जवलपुर, रायगढ़.	350	स्पांज आयरन, इन्डक्शन फर्नेश, पावर जनरेशन.	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
53.	सालासार स्टील एंड पावर लि., गेरवानी, रायगढ़.	720	स्पांज आयरन, इन्डक्शन फर्नेश, पावर जनरेशन, कोलवासरी.	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
54.	मां काली एलाय उद्योग, ग्राम-पाली, रायगढ़.	250	स्पंज आयरन	शारीरिक क्षति का जोखिम	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
55.	मे. बी. एस. स्पंज (प्रा.) लि., तराईमाल, रायगढ़.	100	स्पंज आयरन	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
56.	मां शाकम्बरी स्टील प्रा. लि., संबलपुरी, हमीरपुर, रायगढ़.	135	स्पंज आयरन	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
57.	मे. सेलेनो स्टील लि., तराईमाल, रायगढ़.	75	स्पांज आयरन	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
58.	मे. स्केनिया स्टील एंड पावर लि., पूंजीपतरा, रायगढ़.	250	स्पांज आयरन, इन्डक्शन फर्नेश, रोलिंग मिल.	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
59.	मे. शिव शक्ति स्टील (प्रा.) लि., रायगढ़.	350	स्पांज आयरन	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
60.	मे. रायगढ़ इस्पात एंड पावर प्रा. लि., सराईपाली, रायगढ़.	90	स्पांज आयरन	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
61.	मे. रूखमणी पवार एंड स्टील प्लांट, कुनकुनी, रानीसागर, खरसिया, रायगढ़.	135	पावर जनरेशन	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
62.	मे. आर आर. एनर्जी लि. गढ़उमरिया, रायगढ़.	200	14 मे.वा. बायोमास पावर प्लांट	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
63.	मे. अंबिका इस्पात (इंडिया) प्रा. लि., तराईमाल, गेरवानी रायगढ़.	195	स्पंज आयरन	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
64.	मे. नवदुर्गा फ्यूल प्रा.लि., सराईपाली, रायगढ़.	300	स्पांज आयरन, इन्डक्शन फर्नेश, पावर जनरेशन, कोलवासरी.	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
65.	मे. मां मंगला स्पात प्रा.लि., नटवरपुर, रायगढ़.	80	स्पांज आयरन, इंडक्शन फर्नेश	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
66.	मे. एन.आर. इस्पात एंड पावर प्रा.लि., गौरमुड़ी, रायगढ़.	80	स्पांज आयरन, इंडक्शन फर्नेश	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
67.	मे. महावीर एनर्जी एंड कोल बेनीफिकेशन प्रा.लि., भेगारी, रायगढ़.	90	बायोमास पावर जनरेशन	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
68.	मे. सुनील इस्पात एंड पावर प्रा.लि., चिराईपानी, रायगढ़.	250	स्पांज आयरन (वर्तमान में बंद)	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
69.	शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लि., (कोलवासरी) ग्रा. बजरमुड़ा, रायगढ़.	250	कोल वासरी	शारीरिक क्षति का जोखिम	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
70.	मे. रायगढ़ आयरन इंडस्ट्रीज लि. : पूंजीपतरा, रायगढ़.	90	इंगाट्स एवं स्पंज आयरन	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
71.	मे. मेक्को स्टील एंड पावर प्रा.लि., सराईपाली, रायगढ़.	60	स्पांज आयरन	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
72.	मे. तिरूमाला बालाजी एलायस प्रा.लि., तराईमाल, पूंजीपतरा.	250	फेरो एलायस प्रोडक्शन	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
			जिला—रायपुर		
73.	रियल इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड (उरला डिव्हीजन), प्लाट नं. 315-321 एवं 356-363, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला-रायपुर.	500	स्टील रिरोलिंग, एवं एम.एस. इंगाट्स.	शारीरिक क्षति का जोखिम, स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
74.	यूनिक स्ट्रक्चर्स एंड टावर्स लि., प्लाट नं. 263/311 एवं 268/306, उरला औ. क्षेत्र रायपुर.	281	स्टील रिरोलिंग, फेब्रीकेशन एण्ड गेल्वेनाइजिंग ऑफ स्टील.	शारीरिक क्षति का जोखिम, स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
75.	रीयल इस्पात एण्ड पावर लि., उरला-बेन्द्री रोड, बोरझरा, रायपुर.	280	स्पंज आयरन, स्टील इंगाट, बिलैट्स, पावर जनरेशन, फलाई एश ब्रिक्स, एच.बी. वायर.	शारीरिक क्षति का जोखिम, स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
76.	यूनिवर्थ लि., (फेस-2, डेफोडिल), 923-945.	450	वार्स्टेड वूलन यार्ड	स्वास्थ्य का परिसंकट	1
77.	ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, प्लाट नं. 1037/1046, रिंग रोड नं. 2, उरला औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर.	440	फेब्रीकेशन एण्ड गेल्वेनाइजिंग	शारीरिक क्षति का जोखिम, स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
78.	महामाया इस्पात (डिव्हीजन-अभिषेक स्टील इंडस्ट्रीज लि.) 535, उरला औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर.	450	स्ट्रक्चरल स्टील एवं एम.एस. ब्लूम.	शारीरिक क्षति का जोखिम, स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
79.	भगवती पवार एण्ड स्टील लिमिटेड, फेस-2, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र, जिला-रायपुर (छ.ग.)	475	स्पंज आयरन एवं पावर जनरेशन	स्वास्थ्य का परिसंकट	1
80.	श्री [illegible]ड़ा इस्पात लिमिटेड, प्लाट नं. [illegible], इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर, सिल[illegible], रायपुर.	393	स्पंज आयरन, स्टील इंगाट, बिलैट्स, पावर जनरेशन.	शारीरिक क्षति का जोखिम, स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
81.	ए. [illegible] आई. इस्पात एण्ड पावरटेक (प्रा. लिमि. सिलतरा फेस-II, राय[illegible]	280	स्पंज आयरन, स्टील इंगाट, बिलैट्स, पावर जनरेशन.	शारीरिक क्षति का जोखिम, स्वास्थ्य का परिसंकट.	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
82.	रश्मि स्पंज आयरन एण्ड पावर इंडस्ट्रीयल लिमि. प्लाट नं. 90, इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टरा, फेस-II, सिलतरा, रायपुर.	300	स्पंज आयरन, इंगॉट एण्ड बिलेट्स, पावर जनरेशन (8 MW)	शारीरिक क्षति का जोखिम, स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
83.	ड्रोलिया इलेक्ट्रोस्टील्स (प्रा.) लिमिटेड, स्पंज एण्ड पावर डिव्हीजन, सिलवरा (धरसीवां), रायपुर.	350	स्पंज आयरन, पावर जनरेशन	शारीरिक क्षति का जोखिम, स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
84.	हाईटेक पावर एण्ड स्टील लि., ग्राम-परसदा, तिल्दा, रायपुर.	380	स्पंज आयरन	स्वास्थ्य का परिसंकट	1
85.	प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. (यूनिट-1) रोलिंग मिल डिव्हीजन, न्यू औ. क्षेत्र, गोगांव, रायपुर.	450	स्ट्रक्चरल स्टील एवं टी.एम.टी. बार.	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
86.	प्रकाश इंडस्ट्रीज लि., (यूनिट-2), वायर रॉड मिल डिव्हीजन, न्यू औ. क्षेत्र, गोगांव, रायपुर.	450	वायर राड एवं एच.बी.वायर्स	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
87.	विंध्यवासिनी इंडस्ट्रीज लि., प्लाट नं. 502-508, उरला औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर.	350	स्टील एलायंज कास्टिंग	शारीरिक क्षति का जोखिम, स्वास्थ्य का परिसंकट, व्यवसाय जन्य बीमारी.	1
88.	ख्याती इस्पात प्रा.लि. (रोलिंग मिल डिव्हीजन), ग्राम-जरवाय, हीरापुर, रायपुर.	300	स्टील रिरोलिंग एवं फेब्रीकेशन	शारीरिक क्षति का जोखिम, स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
89.	हीरा स्टील्स लि., प्लाट नं. 720/1, रावांभाठा औ. क्षेत्र, रायपुर.	240	स्टील वायर्स, एम.एस.राउंड, एच.बी.वायर्स.	शारीरिक क्षति का जोखिम,	1
90.	सिम्प्लेक्स कास्टिंग लि., यूनिट-2, प्लाट नं. 750, ग्राम-सरोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर.	590	कास्टिंग एवं स्टील इंगाट्स	शारीरिक क्षति का जोखिम स्वास्थ्य का परिसंकट, व्यवसाय जन्य बीमारी.	1
91.	कार्पोरेट इस्पात एलायज लि., (स्टील डिव्हीजन), सिलतरा फेस-1, रायपुर.	217	स्टील स्लैब, हाट रोल्ड स्ट्रीप, आक्सीजन, नाइट्रोजन एवं आर्गन.	शारीरिक क्षति का जोखिम, स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
92.	छत्तीसगढ़ जूट इण्डस्ट्रीज (यूनिट ऑफ बजरंग जूट मिल लि.), इण्डस्ट्रीयल एरिया भनपुरी, रायपुर.	750	जूट यार्न	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
93.	जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि., (मशीनरी डिव्हीजन), मंदिरहसौद, रायपुर.	945	स्टील कास्टिंग एण्ड फेब्रीकेशन	शारीरिक क्षति का जोखिम, स्वास्थ्य का परिसंकट.	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
94.	मोनेट इस्पात एण्ड पावर लि., यूनिट-2, मंदिर हसौद, रायपुर.	874	स्पंज आयरन, बिलेट्स एण्ड स्ट्रक्चर.	शारीरिक क्षति का जोखिम, स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
95.	मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लि., यूनिट-1, मंदिर हसौद, रायपुर.	884	स्पंज आयरन, स्टील इंगाट्स	शारीरिक क्षति का जोखिम, स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
96.	बजरंग मेटालिक्स एण्ड पावर लिमिटेड, गोडवारा, रायपुर.	617	बिलेट/इंगाट्स, वायर रॉड पावर जनरेशन.	शारीरिक क्षति का जोखिम, स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
97.	श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, बोरझरा, उरला, रायपुर.	668	स्पंज आयरन, बिलेट, फेरो एलायज, फ्लाई एश ब्रिक्स एवं पावर जनरेशन.	शारीरिक क्षति का जोखिम, स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
98.	हनुमान एग्रो इंडस्ट्रीज लि., पारागांव, नवापारा-राजिम, रायपुर.	500	पेपर, पेपर बोर्ड्स, पावर जनरेशन.	स्वास्थ्य का परिसंकट	1
99.	भिलाई इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि., प्लाट नं. 283, 292, 17-सी, उरला रायपुर.	250	इंजीनियरिंग गुड्स	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
100.	विजय ट्रांसमिशन प्रा.लि., ग्राम-कनहेरा, सौरभ रोलिंग मिल, रायपुर.	250	फेब्रिकेशन एण्ड गेल्वेनाइजिंग	शारीरिक क्षति का जोखिम, स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
101.	अस्तर टेली सर्विसेस प्रा.लिमि., सिलतरा फेस-II, रायपुर.	250	फेब्रिकेशन एण्ड गेल्वेनाइजिंग	शारीरिक क्षति का जोखिम, स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
102.	एस्टर टेलिकॉम सर्विसेस प्रा.लि., साकरा, तिल्दा, रायपुर.	250	फेब्रिकेशन एण्ड गैल्वेनाइजिंग	शारीरिक क्षति का जोखिम, स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
			जिला-बलौदाबाजार		
103.	अंबुजा सीमेंट लि. (केप्टिव्ह थर्मल पावर प्लांट), ग्राम व पो.-रवान, जिला-बलोदाबाजार.	238	पावर जनरेशन	शारीरिक क्षति का जोखिम, स्वास्थ्य का परिसंकट.	1
			जिला—राजनांदगांव		
104.	कमल साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट प्रायवेट लिमि., खुटेरी, सोमनी, राजनांदगांव.	500	एक्सट्रक्शन एंड रिफायनिंग ऑफ राईस ब्रान आयल.	विषाक्तता	1
105.	सिम्पेलक्स इंजीनियरिंग एंड फाउंड्री वर्क्स प्रायवेट लिमिटेड यूनिट III, टेड़ेसरा, राजनांदगांव.	500	फेब्रीकेशन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर	शारीरिक क्षति का जोखिम	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
106.	क्रेस्ट स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम - जोरातराई, राजनांदगांव.	500	स्पंज आयरन, स्टील इंगट, बिलेट्स एंड पावर जनरेशन.	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
107.	जायसवाल निको लिमिटेड अंजोरा, राजनांदगांव.	250	कास्ट आयरन कास्टिंग्स	बीमारी	1
108.	लैंको सोलर प्रायवेट लिमिटेड, महरूमखुर्द, राजनांदगांव.	250	सोलर पीवी मोडल	विषाक्तता	1
109.	सिम्पलेक्स कास्टिंग्स लिमिटेड, यूनिट-3 टेडेसरा, राजनांदगांव.	250	फेब्रीकेशन एंड मशीनिंग	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
110.	गिरीराज साल्वेंट एक्सट्रेक्संस प्रा. लि. ग्राम-तुमड़ीबोड़, राजनांदगांव.	250	साल्वेंट एक्सट्रेक्शन	विषाक्तता	1
111.	मिनवूल रॉक फाइबर्स लिमिटेड ग्राम-रीवागहन, पोस्ट-पेण्ड्री, राजनांदगांव.	500	मिनरल वूल प्रोडक्ट	स्वास्थ्य का परिसंकट	1
112.	इंडियन साल्वेंट इण्डस्ट्रीज ग्राम-इंदामरा, राजनांदगांव.	500	एक्सट्रेक्शन ऑफ ऑइल सीड.	विषाक्तता	1
113.	राजाराम मेज प्रोडक्ट्स सुरगी रोड, ग्राम-मोहड़, राजनांदगांव.	750	मेज प्रोडक्ट्स	बीमारी	1
114.	थर्मोकेयर रॉकवूल (ई) प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम- नाथूनवागांव, तुमड़ीबोड़, राजनांदगांव.	100	रॉकवूल एंड अलाईड प्रोडक्ट्स	स्वास्थ्य का परिसंकट	1
	जिला—बस्तर				
115.	नवभारत फ्यूल्स कंपनी लिमिटेड स्टील डिवीजन, बस्तर.	250	स्पंज आयरन	स्वास्थ्य का परिसंकट	1
	जिला—दंतेवाड़ा				
116.	एस्सार स्टील लिमिटेड किरन्दुल, दंतेवाड़ा.	250	आयरन ओर कान्सनट्रेट	शारीरिक क्षति का जोखिम	1
	जिला—कबीरधाम				
117.	भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा, कबीरधाम.	750	शक्कर	स्वास्थ्य का परिसंकट	1

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन कुमार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2013

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ 1-10/2006/16.—विभाग का आदेश (टंकण त्रुटिवश) दिनांक 12-03-2012 द्वारा छ.ग. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1984 की धाराओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री श्रीनारायण तिवारी, निवासी बिलासपुर को छ.ग. श्रम कल्याण मंडल में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्षों के लिये नियुक्ति प्रदान की गई है.

राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :—

1. जारी दिनांक 12-03-2012 के स्थान पर दिनांक 12-03-2013 पढ़ा जाए.

2. छ.ग. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1984 के स्थान पर छ.ग. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 पढ़ा जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2013

क्रमांक एफ 4-2/30/सं./2007.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय सहायता योजना नियम, 1986 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 में विनिर्दिष्ट वित्तीय सहायता की राशि में अंक एवं शब्द "राशि 1500 रुपये (एक हजार पांच सौ रुपये)" के स्थान पर अंक एवं शब्द "राशि 2000 रुपये (दो हजार रुपये)" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. ये संशोधन दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2013

क्रमांक एफ 2-7/30/सं./2006.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अर्थाभावग्रस्त कलाकारों और साहित्यकारों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम, 1982 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 के उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट वित्तीय सहायता की राशि में अंक "अधिकतम सीमा 15,000/- रुपये तक हो सकेगी" के स्थान पर शब्द एवं अंक "अधिकतम सीमा रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) तक हो सकेगी" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. ये संशोधन दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. भट्टर, उप-सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2013

क्रमांक एफ–1–63/2012/23.—श्री अमिताभ पण्डा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, आयुक्त-सह-संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, रायपुर को दिनांक 06-03-2013 से 08-03-2013 (03 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 09, 10-03-2013 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अमिताभ पण्डा, आगामी आदेश तक आयुक्त सह संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, संचालनालय रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अमिताभ पण्डा, को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमिताभ पण्डा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2013

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक M.P./3216 को दिनांक 13-01-2013 से 12-03-2013 (दो माह) तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2010

क्रमांक एफ 7-25/32/2010.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, 1973) की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बिलासपुर निवेश क्षेत्र, जो इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-16-3/बत्तीस/82-1 दिनांक 28-07-1995 द्वारा गठित किया गया था, की सीमाओं में परिवर्तन करते हुए, पुनरीक्षित सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में दर्शाए अनुसार विनिश्चित करता है :—

अनुसूची

बिलासपुर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम काठाकोनी, पेण्डारी, परसदा, जोकी, निरतू, सेन्दरी, कच्छार, रमतला, सेमरताल, बैमा एवं हरदीडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम हरदीडीह, उरतुम, लगरा, खैरा, फरहदा, दोमुहानी, कर्रा, लिमतरा, दर्रीघाट एवं लावर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम लावर, पोढ़ी, मगरउछला, बोहारडीह, लिमतरी, नरगौडी, कडार, सेवार, भटगांव, परसदा, मुढ़ीपार, रहगी, खम्हारडीह एवं हरदी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम हरदी, पेण्ड्रीडीह, बोडसरा, अमसेना, बेलमुण्डी, कोपरा, बहतराई, दबेना एवं काठाकोनी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2013

क्रमांक एफ 7-08/2013/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राप्त राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नगरनार निवेश क्षेत्र, जिला बस्तर का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

नगरनार निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम तुरेनार, कलचा, कुम्हरावंड, काकरवाड़ा, कुम्हरावंड़, रामपाल, बेलपुटी, चितालूर, भालूगुड़ा, उपनपाल, नगरनार एवं भेजापदर ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम भेजापदर, धनपुंजी, चोकावाड़ा, केराझोड़ी, एवं खिड़खाड़ ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम खिड़खाड़, केराझोड़ी, बागराऊर, मारकेल, कोपागुड़ा एवं कुरूंदी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम कुरूंदी, कूसूमपाल, नकटी सेमरा, बुरून्दवाड़ा सेमरा, हल्बा कचोरा, मंगडु कचोरा, शासन कचोरा, बाबु सेमरा धुरगुड़ा, गरावंडकला, भाटागुड़ा एवं तुरेनार ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2013

शुद्धि पत्र

क्रमांक एफ-1-19/2007/सात-3 (पार्ट-4).—छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 20 जनवरी, 2011 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख सेवा चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2010 के हिन्दी प्रति में प्रकाशित अनुसूची के कालम-14 के नीचे (एक) में अंकित "अतिरिक्त संचालक, भू-राजस्व" के स्थान पर "अतिरिक्त संचालक, भू-अभिलेख" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, उप-सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2013

क्रमांक एफ 7-06/2013/12.—खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 26 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलाधीशों को अपने-अपने जिलों के लिए भूमिस्वामियों को खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 72 के अंतर्गत प्रतिकर के भुगतान एवं नियम 73 के अंतर्गत नुकसानी के लिए मुआवजे का अवधारण एवं निर्धारण करने हेतु निर्देशित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2013

क्रमांक एफ 7-06/2013/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

Raipur, the 28th March 2013

No. F 7-06/2013/12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 26 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, direct that all Collectors in the State of Chhattisgarh shall determine and assess for their respective district, compensation to be paid to owners of surface right under rule 72 and compensation for damages under rule 73 of Mineral Concession Rules, 1960.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. D. KUNJAM, Deputy Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

मुंगेली, दिनांक 26 फरवरी 2013

रा. प्र. क्रमांक 03/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	पथरिया	सकेत	30.32	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	मनियारी बैराज योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 26 फरवरी 2013

रा. प्र. क्रमांक 06/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	पथरिया	धमनी	15.09	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	मनियारी बैराज योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 26 फरवरी 2013

रा. प्र. क्रमांक 08/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	रामगढ़	0.74	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	मुंगेली एनीकट के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 26 फरवरी 2013

रा. प्र. क्रमांक 17/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली.	पथरिया	कुकुसदा	118.18	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	मनियारी बैराज योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 26 फरवरी 2013

रा. प्र. क्रमांक 18/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	पथरिया	सरगांव	9.83	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	मनियारी बैराज योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 26 फरवरी 2013

रा. प्र. क्रमांक 21/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	पथरिया	पथरिया	4.81	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	गोइन्द्रा-पथरिया मार्ग के कि. मी. 1/2 पर आगर नदी पर पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 20 मार्च 2013

रा. प्र. क्रमांक 01/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	पथरिया	गंगद्वारी	0.31	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	टेसुवा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 20 मार्च 2013

रा. प्र. क्रमांक 04/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	पथरिया	खैरी	0.75	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	खैरी एनीकट के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 21 मार्च 2013

रा. प्र. क्रमांक 01/अ-[illegible]/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	संगवाकापा	0.07	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	संगवाकापा एनीकट के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 21 मार्च 2013

रा. प्र. क्रमांक 02/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	बरईदहरा	0.40	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	संगवाकापा एनीकट के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 फरवरी 2013

क्रमांक 04/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	तिफरा प.ह.नं. 23	5.97	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बिलासपुर.	बिलासपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 200 से औद्योगिक क्षेत्र तिफरा तक पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 02 मार्च 2013

क्रमांक 04/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	उड़ांगी प.ह.नं. 10	0.41	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	निरतू बसहा एनीकट पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 02 मार्च 2013

क्रमांक 05/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	बसहा प.ह.नं. 10	0.29	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	निरतू बसहा एनीकट पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 06 मार्च 2013

क्रमांक 06/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	उड़ांगी प.ह.नं. 10	0.80	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	लीलागर व्यपवर्तन योजना निरीक्षण गृह निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 28 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	पंझर प.ह.नं. 12	0.861	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	नंदेली चपले मार्ग पर पथरी नाला पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	नंदेली प.ह.नं. 13	0.308	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	नंदेली चपले मार्ग पर पथरी नाला पुल व पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 52/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	चिराईपानी प.ह.नं. 15	0.842	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	कापू प.ह.नं. 19	3.342	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	बघनपुर व्यपवर्तन योजना की आर.बी.सी. मुख्य नहर (CH 0 To 45) निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	तालगांव प.ह.नं. 22	5.527	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	बघनपुर व्यपवर्तन योजना की आर.बी.सी. मुख्य नहर (CH 104 To 178) निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	लिप्ती प.ह.नं. 22	4.722	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	बघनपुर व्यपवर्तन योजना की आर.बी.सी. (CH 179 To 242) एवं माइनर 3 (CH 0 To 20) के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	गोढ़ीखुर्द प.ह.नं. 08	4.756	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	बघनपुर व्यपवर्तन योजना की आर.बी.सी. मुख्य नहर (CH 45 To 104) निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 20 फरवरी 2013

प्र.क्र. 01 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-कानाकोट, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.002 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	367/1	0.020
	328/1 ज	0.202
	469/2	0.126
	469/3	0.186
	371/2	0.012
	374/3	0.082
	470/2	0.374
	472/4	-
योग	8	1.002

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 20 फरवरी 2013

प्र.क्र. 03 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-सीतापार, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.242 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	595	0.133
	600/2	0.122
	615/6	0.312
	640/6	0.303
	640/15	0.279
	600/3	0.093
योग	6	1.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 20 फरवरी 2013

प्र.क्र. 05 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-अहमदपुर, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.155 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	73/1	0.081
	73/2	0.081
	69/7	0.133
	69/8	0.133
	82/4	0.113
	82/5	0.020
	85/9	0.069
	85/8	0.050
	85/10	0.030
	85/3	0.121
	78/1	0.106
	67/6	0.035
	67/7	0.113
	67/5	0.070
योग	14	1.155

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 21 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-रानीगुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.030 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
113	0.295
118/2	0.008
348/2	0.020
118/3ख	0.041
366	0.012
317	0.016
131/1क	0.073
370/5क	0.008
370/3	0.004
349/1ख	0.016
204/1क29	0.024
349/1क	0.012
361/1घ	0.012
364	0.016
130	0.202
118/4	0.088
117/2क	0.012
324/1क	0.020
371/2	0.008
128/3	0.016
131/1ग	0.073
204/1क/30	0.053
318/4	0.012
131/4	0.036
362/1ख	0.028
361/1ख	0.008
361/1च	0.105
365/1	0.012
323	0.166
292	0.008
117/1ख	0.049
371/1क	0.048
128/2	0.004
293/1	0.016
131/3	0.037
316	0.032
287	0.004
362/2ख	0.020
326/1	0.004
361/1ग	0.020
296/2, 361/2ख	0.012
117/1क	0.008
294	0.053
118/3क	0.020
126/2	0.045
365/3	0.020
129	0.016
349/2	0.048
318/1क	0.020
125	0.028
348/1ख2	0.016
346	0.024
361/2ग, 396/3क	0.009
363/1	0.073
योग 54	2.030

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजना माइनर नहर निर्माण (पूरक भू-अर्जन) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायगढ़, दिनांक 11 अप्रैल 2013

संशोधित अधिसूचना

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/6/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-कुनकुनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.754 हेक्टेयर

प्रकाशित खसरा नंबर	रकबा	वास्तविक खसरा नंबर	रकबा
405/2	0.010	450/2	0.010
491/6	0.441	451/6	0.441
486/1519/3	0.303	446/1519/3	0.303
योग कुल खसरा नंबर 3 रकबा 0.754			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजनार्थ.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.